अमर उजाला
प्रवाह
77 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा
नई दिल्ली ■ मंगलवार, 26 अगस्त 2025

जो युवक दहेज की शर्त रखते हैं, वे अपनी शिक्षा और देश को बदनाम कर नारीत्व को अपमानित करते हैं। -महात्मा गांधी

ग्रेटर नोएडा का निक्की हत्याकांड सभ्य समाज के माथे पर कलंक तो है ही, यह देश व समाज के रूप में हमारे अधोपतन की एक और लोमहर्षक सूचना भी है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह इस मामले को निर्णायक परिणति तक पहुंचाए और गुनहगारों को ऐसी सजा दिलाए, जो नजीर बन सके।

भीतर का जानवर

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में एक बेटी, निक्की भाटी के दहेज के दंश का शिकार बनने की ताजा घटना सभ्य समाज के माथे पर कलंक तो खैर है ही, यह एक देश और समाज के रूप में हमारे अधोपतन की एक और लोमहर्षक सूचना भी है। यह दरअसल सिर्फ एक और दहेज हत्या की कहानी नहीं है; यह उस सामाजिक ढांचे की विफलता की कहानी है, जो महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देने में नाकाम रहा है। निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन का विवाह 2016 में एक ही परिवार में किया गया, जिसमें उनके पिता ने अच्छा-खासा दहेज भी दिया, फिर भी ससुराल वालों का लालच बढ़ता गया। घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि राजस्थान के हालिया नीला-ड्रम कांड की तरह, जिसमें मृतक का आठ साल का बेटा अहम गवाह बना, ताजा मामले में भी निक्की का छह साल का बेटा अपनी मां की यातना और हत्या का गवाह बना। हमारी सामूहिक चेतना को झकझोर देने वाली यह घटना एक समाज के तौर पर हमारी नाकामी को भी दिखाती है और जवाबदेही से जुड़े सवाल भी खड़े करती है। पति-पत्नी का संबंध बेशक एक निजी मामला है, लेकिन क्या सब कुछ इतना यांत्रिक हो गया है, जिसमें मानवीय संवेदना के लिए समाज में कोई जगह ही नहीं बची है? निक्की का पति पहले भी मारपीट करता था, वायरल वीडियो भी दस महीने पहले का है। पड़ोस-रिश्तेदार सबको उस यातना का इल्म था, जो शादी के बाद से ही निक्की झेल रही थी, लेकिन सब हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहे, मानो इसी दिन का इंतजार कर रहे हों। पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि वह इस मामले को निर्णायक परिणति तक पहुंचाए और गुनहगारों को ऐसी सजा दिलाए, जो नजीर बन सके। वायरल वीडियो में निक्की अपने पति और सास से पिटते हुए भी जिस तरह से माफी की गुहार लगाती दिख रही है, उससे हिंदी कवि असद जैदी की एक अत्यंत मार्मिक कविता याद आती है, जिसका नाम है-बहनें। इसमें बहनें यह

विनती करती हैं कि हम चूल्हे में लकड़ियों की जगह या अलमारी में दीमक की तरह रह लेंगी, पर हमें घर से मत निकालो। खबरों के अनुसार, मारपीट की घटनाएं बार-बार होने पर भी समाज के आश्वासन पर बेटियों को दोबारा ससुराल भेज दिया जाता था। जैदी की कविता की तरह निक्की की हत्या भी बहू-बेटियों की मर्मांतक स्थिति पर गहरी रोशनी डालती है। जब आंकड़े दहेज उत्पीड़न और हत्या के चलते देश में हर तीन दिन में पचास से ज्यादा महिलाओं के जान गंवाने की गवाही दे रहे हों, तो क्या हमें इन स्थितियों को बदलने पर विचार नहीं करना चाहिए? परिवार के स्तर पर हम इतना तो कर ही सकते हैं।

अतृप्त लालच और परंपरा का मुखौटा

महिलाओं को ताकत देने की बात केवल शिक्षा और नौकरी तक सीमित न रहे, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाया जाए कि वे बुरे रिश्तों से बाहर निकलने में कलंकित महसूस न करें। महिलाओं का असल सशक्तीकरण तो उनके मन को सशक्त बनाने में ही है।

उन्होंने मेरी मां के शरीर पर कुछ डाला, थप्पड़ मारे और लाइटर से आग लगा दी। भले ही किसी को यह घटना इतनी भयावह न लगे, लेकिन ये शब्द छह वर्षीय बच्चे के हैं, जो किसी को भी निराश कर सकती है। निक्की भाटी के छह साल के बच्चे को यह याद है कि उसने आखिरी बार अपनी मां को कब देखा था।

देश की राजधानी से महज कुछ ही किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के व्यस्त इलाके में आधी रात को यह वीभत्स अपराध हुआ। एक मध्यवर्गीय परिवार, जहां दो भाई दो बहनों से शादी करके अपने माता-पिता के साथ रहते थे, में इसे अंजाम दिया गया। नौ वर्ष की शादी के बाद युवा युगल निक्की एवं विपिन का रिश्ता स्थिर होना चाहिए था। भले ही शादी की रौनक फीकी पड़ गई होगी, एक नियमितता और थोड़ी-सी खैरियत भी रिश्ते में आ गई होगी, क्योंकि घर-गृहस्थी और बच्चों की परवरिश उनकी प्राथमिकताओं पर हावी हो गई होगी। 28 साल की निक्की खूबसूरत थी और उसकी कद-काठी भी पतली थी।

अद्वैता काला
पत्रकार, फिल्म कथा लेखक एवं चर्चित उपन्यासकार

किशोरावस्था में ही विवाहित निक्की की इंस्टाग्राम पर मौजूदगी थी और वह अपनी बड़ी बहन कंचन के साथ एक ब्यूटी पार्लर भी चलाती थी। उसके इंस्टाग्राम पोस्ट से स्पष्ट है कि दोनों बहनें तेजी से प्रभावशाली बन रही थीं, और सोशल मीडिया पर भी वैसी ही चमक-दमक थी। उनका काम मुख्यतः दुल्हनों को सजाना था। स्वस्थ, उत्साही और सहज रहने वाली ये बहनें अपनी बेहतर जिंदगी, थोड़ी आर्थिक आजादी के छोटे-से सपने के लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थीं।

लेकिन यह सपना दुःस्वप्न बन गया। निक्की की जो आखिरी 'रील' दुनिया देखेगी, उसमें वह आग की लपटों में घिरी सीढ़ियों से नीचे भागती हुई दिखाई देगी, और उसका पति और सास उसका पीछा कर रहे होंगे। कैमरे के पीछे उसकी बड़ी बहन कंचन बेहोश होने से पहले के इन पलों को रिकॉर्ड कर रही थी। जब वह होश में आई, तो उसकी बहन जलकर खाक हो चुकी थी। दहेज हत्या के सर्वविदित अपराध का यह एक और उदाहरण है। लेकिन कैमरे में कैद हुई इस क्रूरता के कारण शायद इन घृणित

कृत्यों के पीछे की चुप्पी और सरासर नग्न लालच, वास्तविक समय में दुनिया के सामने उजागर हो गया है। बहुत लंबे समय से महिलाओं और उनके परिवार वालों ने व्यक्तित्व और यहां तक की सुरक्षा की अनदेखी करके 'वैवाहिक रिश्ते' के 'सामाजिक सम्मान' के लिए चुप्पी का रास्ता चुना है। यदि इसकी कीमत महिलाओं की आवाज को दबाना है, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने, व्यवसाय करने और न केवल जीवित रहने, बल्कि समृद्ध होने से हतोत्साहित करना है, तो हमें इसकी कीमत चुकानी होगी।

बहुत लंबे समय से हम एक महिला की यात्रा को जीवित रहने की परीक्षा के रूप में देखते आए हैं, जिसमें दुनिया के अन्याय को धैर्य के साथ सहना शामिल है, क्योंकि यही तो 'मजबूत महिलाएं' करती हैं। सब कुछ देखती-सुनती हैं, पर आगे बढ़ती रहती हैं। यह मानना तो बिल्कुल गलत है कि समाज के एक खास वर्ग में ही ऐसा होता है, यहां तक कि अरबपति तबका भी इसकी जद में है। सनसनीखेज समाचारों के चक्र में हम खुद को निक्की जैसी त्रासदियों में घसीटते हुए पाते हैं और न्याय की मांग करते हैं। सौभाग्य से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उम्मीद है कि न्याय मिलेगा।

बहरहाल, हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, जहां न्याय ही काफी नहीं है। देश भर में हजारों नहीं, लाखों निक्की इसी तरह की नियति का इंतजार कर रही हैं। कुछ बच जाती हैं और कुछ नहीं। कुछ को उत्तर प्रदेश जैसी सख्त कानून-व्यवस्था मिलती है, जहां अपराधी को सजा मिलती है, फिर भी कई मामलों में अपराधी बच निकलते हैं, और सजा की दर बेहद कम होती है। दहेज हिंदू परिवारों की एक व्यवस्थागत समस्या ही नहीं है, बल्कि एक अपवित्र सांस्कृतिक कुप्रथा भी है। सरकार ने इस बुराई की व्यापकता को पहचाना है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पहल की है, जिसके तहत दुल्हन और उसके परिवारों के लिए आर्थिक मदद दोगुनी करके एक लाख रुपये कर दी गई है, जिसमें से 60 हजार रुपये दुल्हन के खाते में जाते हैं।

ये कदम सही दिशा में हैं, लेकिन समाज अपनी जिम्मेदारी कब स्वीकार करेगा? दरअसल, लालच की कोई सीमा नहीं होती। सरकार मदद कर सकती है, लड़की का परिवार शादी के लिए अपनी संपत्ति बेच सकता है, लेकिन अगर दूल्हे का परिवार लालची है, तो उसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इन मामलों में लड़की ऐसी स्थिति में फंस जाती है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। उसका परिवार तलाक के सामाजिक कलंक के चलते चाहता है कि रिश्ता चलता रहे। दूसरी ओर, पति का परिवार अधिकतम आर्थिक लाभ उठाने के लिए एक टीम के रूप में काम करता है। ऐसे में, एक समाज के रूप में यह जरूरी है कि हम तलाक को सकारात्मक ढंग से देखें। हालांकि, तलाक किसी रिश्ते के लिए वांछनीय परिणाम नहीं है, लेकिन यह मौत से कहीं बेहतर है। और निक्की जैसी स्थिति में तलाक एक विफलता नहीं, बल्कि जीवन रक्षा है।

जब हम महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं, तो यह केवल शिक्षा या वित्त के लिए नहीं है, बल्कि महिलाओं को मानसिक रूप से सशक्त बनाने को लेकर है, ताकि समाज द्वारा खड़ी की गई बाधाओं को हराया जा सके। महिलाओं को बुरे रिश्तों से बाहर निकलने और कलंकित महसूस न करने के लिए सशक्त महसूस करने की जरूरत है। इसके लिए समाज को आगे आकर अपनी बात पर अमल करना होगा।

और इसके लिए सोच में बदलाव की सख्त जरूरत है। एनसीआरबी के वार्षिक आंकड़े हर साल हजारों दहेज हत्याओं का रिकॉर्ड रखते हैं। निक्की और उसकी बहन कंचन ने लगभग एक दशक तक शारीरिक और मानसिक शोषण सहा, इसके बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी संवारने और अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। अंत में निक्की को अतिरिक्त दहेज के लालच ने मार डाला। क्या एक औरत, एक मां, एक पत्नी की जिंदगी की कीमत बस इतनी ही है? विपिन जैसे हत्यारे, अतृप्त लालच में डूबे, कब तक परंपरा का मुखौटा पहने बेफिक्र घूमते रहेंगे? उसकी मां से सवाल कौन पूछेगा, जिसने एक स्त्री होते हुए हत्या में मदद की। कानून अपना काम करेगा और उत्तर प्रदेश पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन समाज को इन सवालों का जवाब अवश्य देना चाहिए। इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। महिलाओं का असली सशक्तीकरण उनके मन को सशक्त बनाने में निहित है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

स्टीफन किंग

हम अक्सर जीवन का अर्थ ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने सीखा है कि जीवन का अर्थ सवालों के जवाब ढूंढने में नहीं है। यह हर दिन को जीने, हर पल को महसूस करने में है।

जीवन का अर्थ ढूंढने के बजाय उसे महसूस करें

जीवन में डर हर किसी का साथी है। चाहे वह असफलता का डर हो, अज्ञात का, या बदलाव का, इसे छिपाने से यह और बड़ा हो जाता है। डर की वजह से जरूरी बातें कहना सबसे मुश्किल होता है। अपने डर को पहचानें और उसका सामना करें। यह आसान नहीं है, लेकिन यही हमें मजबूत बनाता है। सपने तब तक सच नहीं होते, जब तक हम अपने डर से ऊपर नहीं उठते, उन्हें सच करने के लिए मेहनत नहीं करते। हर किसी के पास सपने हैं, लेकिन ये सिर्फ ख्याल नहीं हैं। ये एक नक्शा हैं। मेरी पहली किताब, 'कैरी', तब तक छपी नहीं, जब तक मैंने रातों को जागकर, अस्वीकृति के बावजूद लिखना नहीं छोड़ा। सपना जो भी हो, लेखक बनना, गायक बनना या कुछ और, उसके लिए काम करना ही होगा। हर दिन एक कदम उठाना चाहिए, वह छोटा ही क्यों न हो। यदि विफल भी हो जाते हैं, तो वह विफलता हमारी शिक्षक ही है, हमारी दुश्मन नहीं। मैंने असंख्य बार अस्वीकृति का सामना किया है। लेकिन हर विफलता ने मुझे कुछ सिखाया। अपनी विफलताओं से डरना नहीं चाहिए। हार मानने से पहले एक और कोशिश तो हर किसी को करनी ही चाहिए।

जीवन छोटा है और समय तेजी से भागता है। अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अपने पसंदीदा काम में बिताएं, क्योंकि हर पल कीमती है। जीवन में जो करना चाहते हैं, उसे अभी शुरू करें। कल का इंतजार न करें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। अपने समय को उन चीजों पर लगाएं, जो खुशी देती हैं, जो हमें अर्थ देती हैं। कहानियां हमें इन्सान बनाती हैं। वे हमें जोड़ती हैं। कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं हैं। वे हमें एक-दूसरे से और हमारी भावनाओं से जोड़ती हैं। जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं, तब अकेले नहीं होते। हम उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। अपनी कहानी लिखें, जो किसी को प्रेरित कर सकती है, किसी को हिम्मत दे सकती है। हम वही हैं, जो हम बनना चाहते हैं, केवल खुद पर विश्वास रखें। मैं एक छोटे-से शहर का लड़का था, जिसके पास बड़े सपने थे। लोग हंसते थे, जब मैं कहता था कि मैं लेखक बनूंगा। लेकिन मैंने खुद पर विश्वास किया। दुनिया हमें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर हम अपने दिल की सुनेंगे, तो कोई भी हमें नहीं रोक सकता। जीवन कोई पहेली नहीं है, जिसे सुलझाना है। यह एक रहस्य है, जिसे जीना है। हम अक्सर जीवन का अर्थ ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने सीखा है कि जीवन का अर्थ सवालों के जवाब ढूंढने में नहीं है। यह हर दिन को जीने, हर पल को महसूस करने के बारे में है। अपने आसपास की छोटी-छोटी चीजों में खुशी ढूंढें, एक अच्छी किताब, एक हंसी, एक दोस्त की बात। यही जीवन है। जीवन एक कहानी की तरह है, कभी डरावनी, कभी रोमांचक, और कभी-कभी उदास। लेकिन यह हमारी कहानी है। डर का सामना करें, अपने सपनों का पीछा करें और हर पल को बगैर किसी डर के जिएं। हमें सिर्फ एक बार जीने का मौका मिलता है, तो इसे पूरी तरह जिएं।

स्वयं से करें युद्ध

सूत्र

जीवन में किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहले स्वयं से लड़ना पड़ता है। अपने भीतर के डर को निकालें और भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत बनाएं तथा अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें। मंजिल की ओर हर पल बढ़ते रहिए। इस बीच किसी को ठेस न पहुंचाएं, बस प्रेमभाव से अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचें।

दूसरा पहलू

रील्स, मीम्स व शॉर्ट्स से उकता चुके लोगों को कुछ प्लेटफॉर्म अथाह लिखने व पढ़ने का मौका दे रहे हैं।

फिर लौट रहा ब्लॉगिंग का दौर

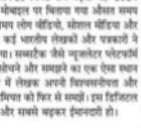

नब्बे के दशक के अंतिम वर्षों में जब इंटरनेट हमारी जिंदगी में दाखिल हो रहा था, तब लेखन की दुनिया में ब्लॉगिंग के रूप में एक नई क्रांति ने जन्म लिया। ब्लॉग्स ने लेखकों को एक मंच दिया, जहां वे अपनी बात, अनुभव और विचारों को दुनिया के सामने रख सकते थे। लेकिन, यह सिलसिला बहुत लंबा नहीं चला। सोशल मीडिया की दस्तक के साथ ही फेसबुक, ट्विटर (अब एक्स) और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स सामने आए और संवाद के तरीके बदलने लगे।

मुकुल श्रीवास्तव

पहले जहां लेख और विचार की शक्ल में संवाद होता था, अब रील्स, मीम्स व शॉर्ट्स का राज है, लेकिन कुछ ऐसे डिजिटल कोने भी उभर रहे हैं, जो शब्दों को फिर अहमियत दे रहे हैं और आय कमाने का जरिया भी। ऐसे ही एक न्यूजलेटर आधारित प्लेटफॉर्म का नाम है सब्सटैक, जो लेखकों और पाठकों के लिए नए ब्लॉगिंग विकल्प के रूप में सामने आया है। यह एक अमेरिकी ऑनलाइन न्यूजलेटर प्लेटफॉर्म है, जो लेखकों को फ्री या पेड सब्सक्रिप्शन के जरिये अपनी सामग्री प्रकाशित करने की आजादी देता है। टेक क्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्लेटफॉर्म ने 50 लाख पेड और चार करोड़ एक्टिव सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा पार किया है। पारंपरिक ब्लॉगिंग में लेखक आमदनी के लिए वेबसाइट ट्रैफिक, विज्ञापन व एसईओ जैसी चीजों के पीछे भागते थे, वहीं सब्सटैक पर लेखक न तो एल्गोरिदम पर निर्भर होता है, न ही क्लिक-बेट शीर्षकों की होड़ पर। पाठक स्वयं तय करता है कि वह किस लेखक को पढ़ना चाहता है और सब्सक्रिप्शन के जरिये लेखकों की भी सीधे कमाई हो जाती है। सब्सटैक पर लेखक अगर एक हजार सब्सक्राइबर्स बना लेता है, तो वह लगभग 50 हजार डॉलर तक की कमाई कर सकता है। स्टेटिस्टा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक व्यक्ति साल 2004 में औसतन 23 मिनट रोज पढ़ता था, 2024 तक वह 16 मिनट ही पढ़ने को समय देता है। मोबाइल पर बिताया गया औसत समय चार घंटे से ज्यादा हो चुका है। इसमें ज्यादातर समय लोग वीडियो, सोशल मीडिया और स्क्रॉलिंग में खर्च कर देते हैं। कोविड के दौरान कई भारतीय लेखकों और पत्रकारों ने सब्सटैक, मीडियम जैसे प्लेटफॉर्म्स का रुख किया। सब्सटैक जैसे न्यूजलेटर प्लेटफॉर्म पाठकों को डिजिटल शोर से दूर जाकर ठहरने, सोचने और समझने का एक ऐसा स्थान देते हैं, जहां शब्दों की अहमियत जिंदा है। ऐसे में लेखक अपनी विश्वसनीयता और गुणवत्ता को बनाए रखें और पाठक शब्दों की अहमियत को फिर से समझें। इस डिजिटल भीड़ में वही टिकेगा, जिसमें ठहराव हो, विचार और सबसे बढ़कर ईमानदारी हो।

सब्सटैक न्यूजलेटर प्लेटफॉर्म है, जो लेखकों को फ्री या पेड सब्सक्रिप्शन के जरिये अपनी सामग्री प्रकाशित करने की आजादी देता है।

सब्सटैक पर पाठक स्वयं तय करता है कि वह किस लेखक को पढ़ना चाहता है। इस पर लेखक अगर एक हजार सब्सक्राइबर्स बना लेता है, तो वह लगभग 50 हजार डॉलर तक की कमाई कर सकता है।

आंकड़े

अंतरिक्ष यात्री

भारतीय वायुसेना के अधिकारी शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा पूरी की है। अमेरिका इस मामले में दुनिया में शीर्ष पर है।

देश	संख्या
अमेरिका	379
रूस	128
चीन	24
जापान	15
जर्मनी	13

आंकड़े अप्रैल 2025 तक के अंतरिक्ष यात्रियों के | स्रोत : WS

भगवान गणेश ने अपने भक्त से कहा, 'मोहन, मैं तो भाव का भूखा हूं। तुमने जिस भाव से मेरा स्मरण किया, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं।'

भाव का भोग

मोहन नाम का एक अनाथ व दृष्टिहीन बच्चा था, वह गणेश मंदिर के बाहर भीख मांगता था और मन में पार्वती नंदन के नाम का जप करता था। वह अपने चाचा के साथ रहता था। एक दिन दोनों की इच्छा हुई कि मंदिर में विघ्नहर्ता भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाएं, लेकिन मंदिर के प्रबंधकों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। चाचा ने कहा, 'हम भी तो इन्सान हैं।' बच्चा बोला, कोई बात नहीं, हम तो भिखारी हैं। मोहन मंदिर की सीढ़ी के पास बैठ गया।

कुछ देर बाद उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मोहन ने पूछा, 'क्यों रो रहे हो।' बच्चे ने कहा, 'मेरा नाम गगन है, मुझे भूख लगी है, पर पैसे नहीं हैं।' मोहन ने उसे पांच रुपये दिए। गगन ने दुकान से लड्डू लाकर खा लिए। यह क्रम कई दिनों तक चला। गगन आता, मोहन उसे पांच रुपये देता और वह लड्डू खा लेता। एक दिन गगन ने कहा, 'अब मैं नहीं आ सकूंगा। मेरे माता-पिता दूसरी जगह जा रहे हैं।' मोहन निराश हुआ और बोला, 'तुम जब लड्डू खाते हो, तो ऐसा लगता है, जैसे गणेश जी खुद खा रहे हों, तुम मत जाओ।' गगन ने कहा, 'आप मेरे माता-पिता से बात कर लो।' काफी दूर जाने पर मोहन ठोकर खाकर गिर गया। वह खड़ा हुआ, तो उसकी आंखों की रोशनी लौट आई और सामने भगवान गणेश खड़े थे। गणेश जी ने कहा, 'मोहन, मैं तो भाव के भोग का भूखा हूं। तुमने जिस भाव से मेरा स्मरण किया, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं।'

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 26 अगस्त, 1951

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का नेहरू पर तानाशाही का आरोप

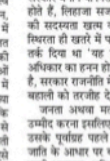

संसद में विश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र ने प्रधानमंत्री पं. नेहरू पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि नासिक अधिवेशन के बाद से उन्हें तानाशाह बनाने की कोशिशें हो रही थीं।

जेल से सरकार चलाने के पीछे की हसरत

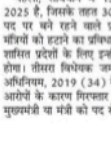

जब दोषी करार दिए गए लोगों के नाम मतदाता सूची में भी शामिल नहीं हो सकते, तो जेल में बंद रहकर जनप्रतिनिधि सरकार क्यों चलाना चाहते हैं?

प्रमोद भार्गव | मुद्दा

अरसे से चुनाव सुधार के लिए ऐसी विसंगतियां दूर करने की मांग उठती रही है, जिनके चलते दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों के आरोपियों को चुनाव लड़ने के अधिकार के साथ, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए जेल से सरकार चलाने का अधिकार भी मिला हुआ है। लेकिन, अब सरकार तीन संविधान संशोधन विधेयकों के जरिये इन विरोधाभासी कानूनों को बदलने की तैयारी में है।

पहला, संविधान में 130वां संशोधन विधेयक-2025 है, जिसके तहत 30 दिन तक जेल में रहकर पद पर बने रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है। दूसरा विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इन्हीं प्रावधानों के साथ लागू होगा। तीसरा विधेयक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (34) के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का कोई प्रावधान

नहीं है। अतएव धारा-54 में संशोधन करके आपराधिक छवि वाले मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को 30 दिन में हटाने का प्रावधान किया जाएगा।

देश में जाति और संप्रदाय आधारित विडंबनाएं इस हद तक हैं कि अनेक दागी चुनाव जीत भी जाते हैं। यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और आतंकी फंडिंग में तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर रशीद ने पिछले साल लोकसभा चुनाव जीता। विचारणीय बिंदु यह भी है कि हत्या, दुष्कर्म, आतंक, अलगाव और हिंसा भड़काने वाले लोग यदि जीतकर संसद और विधानसभा में पहुंच जाते हैं, तब क्या इन सदनों की गरिमा या संविधान की महिमा बढ़ जाती है? यदि नहीं बढ़ती, तो राजनीतिक दल इन्हें टिकट क्यों देते हैं? क्या उन्हें देश की अखंडता की चिंता नहीं है?

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10 जुलाई, 2013 को दिए एक फैसले के अनुसार, किसी आपराधिक मामले में दो वर्ष की सजा पाए दोषी सांसद, विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने इस फैसले में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 (4) को रद्द कर दिया था। लेकिन, इस फैसले के विरुद्ध केंद्र सरकार ने संसद में सर्वसम्मति से संशोधन विधेयक लाकर शीर्ष अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। इस बिल में धारा 8 की उपधारा 4 में एक प्रावधान जोड़ा, ताकि दागी नेताओं की कुर्सी बची रहे और वे सदन की कार्यवाही में भागीदारी करते रहें, लेकिन अदालत ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि उपधारा 4 भेदभावपूर्ण है, क्योंकि यह दोषी ठहराए गए आमजन को तो चुनाव लड़ने से रोकती है, लेकिन जनप्रतिनिधि को सुरक्षा मुहैया कराती है। दरअसल, दागियों के कंधे पर टिका विपक्ष ऐसे कानूनों का पक्षकार इसलिए है, ताकि वह संप्रदाय और जाति के ध्रुवीकरण के आधार पर जीते प्रतिनिधियों के बूते अपना वर्चस्व संसद में बनाए रखे।

संविधान के अनुच्छेद 173 और 326 में प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा दोषी-करार दिए लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जा सकते हैं। यहां प्रश्न खड़ा होता है कि जब कोई अपराधी मतदाता भी नहीं बन सकता है, तो वह जनप्रतिनिधि बनने के नजरिये से निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी कैसे कर सकता है? संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत यह दोहरा मापदंड समानता के अधिकार का उल्लंघन है। समान न्यायिक व्यवहार की इस मांग को जनहित याचिका के जरिये लिली थॉमस और लोक प्रहरी नामक एनजीओ ने अदालत के समक्ष रखा था। याचिका में दर्ज इस विसंगति को शीर्ष न्यायालय ने अपने अभिलेख में प्रश्नांकित करते हुए तब की मनमोहन सिंह सरकार से जवाब-तलब भी किया था। केंद्र ने शपथपत्र देकर तर्क गढ़ा था कि 'कई बार सरकार बनाने या गिराने में चंद वोट ही बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, लिहाजा सजा मिलने पर किसी जनप्रतिनिधि की सदस्यता खत्म कर दी जाती है, तो सरकार की स्थिरता ही खतरे में पड़ सकती है।' सरकार ने यह भी तर्क दिया था 'यह उन मतदाताओं के संवैधानिक अधिकार का हनन होगा, जिन्होंने उन्हें चुना है।' जाहिर है, सरकार राजनीति में शुचिता लाने के बरक्स अपराध बहाली को तरजीह दे रही थी।

जनता अथवा मतदाता से राजनीतिक सुधार की उम्मीद करना इसलिए बेमानी है, क्योंकि राजनीति और उसके पूर्वाग्रह पहले से ही मतदाताओं को धर्म और जाति के आधार पर बांट चुके होते हैं। वैसे भी देश में इतनी अज्ञानता, अशिक्षा, असमानता और गरीबी है कि लोग बांटी जा रही मुफ्त की रेवड़ियों के आधार पर मतदान करने लगे हैं। ऐसे में जिस स्तर पर भी केंद्र सरकार राजनीति में शुचिता और नैतिकता के कानूनी मानदंड स्थापित करने के प्रयास में है, तो विपक्ष को राष्ट्रहित में समर्थन करने की जरूरत है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 162

गोर की नियुक्ति नई चुनौती

सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का राजदूत और दक्षिण एवं पश्चिम एशियाई मामलों का विशेष दूत बनाए जाने की घोषणा के बाद भारत के लिए कुछ नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। फिलहाल भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में गोर की नियुक्ति के बाद हालात और जटिल हो सकते हैं। व्हाइट हाउस में कार्मिक मामले के विभाग के प्रमुख गोर की नियुक्ति को अभी अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट की मंजूरी मिलनी बाकी है। उनकी नियुक्ति कई कारणों से चौंकाने वाली है जिसे देखते हुए भारत सरकार को एक सतर्क रुख के साथ आगे बढ़ना होगा।

पहली बात, 38 वर्षीय गोर को कूटनीति या विदेश मामलों का अनुभव नहीं है। अगर उनके पास ये अनुभव होते तो वह भारत जैसे बड़े एवं विविधता वाले देश के लिए स्वतः ही राजदूत के रूप में एक अच्छे विकल्प होते। व्हाइट हाउस में अपना रुतबा जमाने से पहले गोर रिपब्लिकन पार्टी के कई दिग्गज राजनीतिज्ञों के साथ काम कर चुके थे। उसके बाद वह पार्टी के 'मागा' (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) गुट के साथ जुड़ गए। डॉनल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के अभियान को समर्थन देने वाले शुरुआती लोगों में गोर भी शामिल रहे थे। गोर ने एक राजनीतिक कार्य समिति का संचालन किया और ट्रंप की कई पुस्तकें भी प्रकाशित कीं। ट्रंप के प्रति उनकी निष्ठा के दम पर राष्ट्रपति कार्यालय में गोर की धाक जम गई जहां उन्हें संघ सरकार में महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि खंगालने की जिम्मेदारी मिली। गोर राष्ट्रपति ट्रंप के सर्वाधिक भरोसेमंद लोगों में शुमार हो गए और ट्रंप प्रशासन में कुछ वरिष्ठ लोग तो उनसे सावधान भी रहने लगे।

अमेरिका द्वारा भारी भरकम शुल्क लगाने के बीच दोनों देशों के संबंधों पर नजर रखने वाले लोगों ने ट्रंप के करीबी होने के कारण गोर के नामांकन को भारत के लिए एक अच्छा अवसर बताया है। उनके अनुसार भारत गोर को जरिया बना कर व्हाइट हाउस के साथ व्यापार वार्ता में लाभ उठा सकता है। हालांकि, यह आशावादी नजरिया हो सकता है। गोर को अब तक व्यापार के मुद्दे पर टीका-टिप्पणी करते नहीं देखा या सुना गया है। इसकी उम्मीद कम ही है कि भारत में पदस्थापित होने के बाद वह ट्रंप के रुख से अलग कोई नजरिया अपनाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही कह दिया है कि नवनियुक्त राजदूत का मकसद 'अमेरिका को फिर श्रेष्ठ बनाना' है। एकतरफा व्यापार सौदा करना भी 'मागा' की रणनीति का एक हिस्सा रहा है।

एक और बात जो अजीब लग रही है वह यह कि विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि उन्होंने गोर की नियुक्ति के बारे में 'पढ़ा' है और सार्वजनिक रूप से किसी दूसरे देश की राजदूत की नियुक्ति पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यह संभव है कि गोर की नियुक्ति के संबंध में स्थापित कूटनीतिक औपचारिकताओं एवं परंपराओं का पालन नहीं हुआ हो। अधिकांश देश किसी देश में अपने राजनयिक भेजने से पहले एक-दूसरे से बात करते हैं। यह औपचारिकता देशों के बीच राजनयिक संबंधों की बुनियादी जरूरत समझी जाती है। इस मामले में इस परंपरा को दरकिनार किया जाना चिंता की बात है क्योंकि गोर दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के विशेष दूत भी होंगे। यह पहलू भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। गोर को अलग से दी गई यह जिम्मेदारी न केवल भारत और पाकिस्तान को समान ओहदा दिए जाने का संकेत दे रही है बल्कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान सहित भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंधों में भी अमेरिका के दखल देने की आशंका बढ़ गई है। वर्ष 2009 में भारत ने ओबामा प्रशासन के कार्यकाल में रिचर्ड हॉलब्रूक को भारत और पाकिस्तान के लिए विशेष दूत का पद दिया जाना अस्वीकार कर दिया था। भारत की आपत्ति के बाद हॉलब्रूक को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका का विशेष दूत बनाया गया। हॉलब्रूक अमेरिकी प्रशासन की 'अफ-पाक' नीति पर काम करने लगे और अफ़गानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका को देखते हुए उससे कभी-कभी मशविरा भी किया करते थे। मगर भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के रूप में गोर की नियुक्ति को इस नजरिये से नहीं देखा जा सकता। जिस तरीके से गोर की नियुक्ति हुई है, उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है और स्वयं उनकी जो पृष्ठभूमि रही है उन्हें देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि भारत-अमेरिका के संबंध जल्द सामान्य हो पाएंगे।

विनय सिन्हा

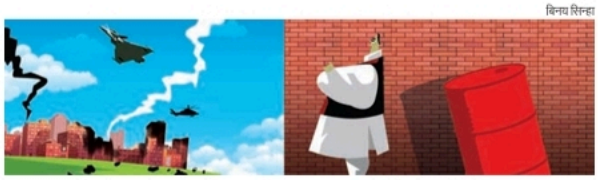

रूस-यूक्रेन युद्ध में अब तिनके का सहारा

वॉशिंगटन में यूक्रेन के मुद्दे पर डॉनल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में रीढ़ लचीली करने के बावजूद यूरोपीय देशों के नेता उन्हें प्रभावित कर पाने में नाकाम दिखे। बता रहे हैं श्याम सरन

एक बाहरी पर्यवेक्षक के लिए यह देखना कष्टप्रद था कि गत सोमवार को वॉशिंगटन में यूक्रेन मुद्दे को लेकर हुई बैठक में दुनिया के कुछ सर्वाधिक ताकतवर देशों के नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के समक्ष चापलूसी का प्रदर्शन कर रहे थे। इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमिर जेलेंस्की के अलावा सात अन्य प्रमुख यूरोपीय नेता- फ्रांस के इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटेन के कियर स्टार्मर, जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, फिनलैंड के एलेक्जेंडर स्टब, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सूला वॉन डेर लेयेन और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के महासचिव मार्क रुटे शमिल थे। उन्होंने ट्रंप की स्वीकृति पाने के लिए उन्हें एक शांतिदूत, 'हत्याएं रोकने' के लिए प्रतिबद्ध नेता, और अपने मित्रों के प्रति उदार व सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति के रूप में सराहा।

कुछ यूरोपीय टिप्पणीकारों की तरह यह तर्क दिया जा सकता है कि इस प्रकार की सार्वजनिक और पूर्ण निष्ठा का प्रदर्शन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को अपने पक्ष में बनाए रखने की एक छोटी सी कीमत थी। उन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन द्वारा पिछले सप्ताह अलास्का में की गई नपी-तुली लेकिन बेहद प्रभावशाली प्रशंसा की रणनीति के साथ तालमेल बनाए रखना पड़ा। पुतिन ने ट्रंप को तत्काल युद्ध विराम की अपनी पूर्व मांग से हटने के लिए राजी कर लिया और उन्हें 'बुनियादी कारणों' को संबोधित करके शांति स्थापित करने की रूसी स्थिति को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया।

कई टीकाकार यह ध्यान देने में विफल रहे कि ट्रंप ने खुलकर यह घोषणा की है कि यूक्रेन को शांति की कीमत के रूप में 'जमीन गंवाना' स्वीकार कर लेना चाहिए। यह रूस के लिए भारी जीत है। व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के साथ बैठक में उन्हें एक मानचित्र दिखाया गया और समझाया गया कि उन्हें कितनी जमीन गंवाने की मंजूरी दे देनी चाहिए। यूरोपीय नेताओं ने अपने बयानों में इस विषय से दूरी बनाई हालांकि यह इस पूरे संकट के केंद्र में है।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों और जर्मनी के चांसलर मर्ज ने युद्ध विराम का मुद्दा उठाया जो जमीन के मुद्दे को टालने वाला था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया। अलास्का में रूस द्वारा व्यक्त की गई इस इच्छा पर काफी चर्चा हो रही है कि अगर शांति समझौता होता है तो वह यूक्रेन के लिए उचित सुरक्षा गारंटी पर विचार करेगा। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकोफ ने सुझाव दिया कि इन गारंटियों के बीच, रूस ने उन उपायों की बात की थी जिन्हें रूसी घरेलू कानून में शामिल किया जा सकता है। यह हास्यास्पद है। वॉशिंगटन बैठक पर रूसी आधिकारिक बयान में यूक्रेन की धरती पर नाटो देशों की किसी भी शांति सेना की तैनाती को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया गया है।

इससे पहले रूस ने अस्पष्ट संकेत दिया था कि चीन शांति समझौते में 'गारंटर' की भूमिका निभा सकता है। ट्रंप ने ऐसी किसी गारंटी में यूरोप की भूमिका को लेकर अमेरिकी समर्थन की बात कही लेकिन सक्रिय भागीदारी से इनकार किया। इन अस्पष्टताओं और विरोधाभासों के बावजूद यूक्रेन की 'सुरक्षा गारंटी' को बैठक की सबसे बड़ी कामयाबी बताया गया। इन बातों से क्षेत्र को लेकर होने वाली बात से ध्यान हटाने में मदद मिली। यूक्रेन अपनी इस मांग पर टिका हुआ है कि रूस क्रीमिया समेत 2024 से काबिज यूक्रेनी क्षेत्रों को खाली करे।

विटकोफ और बाद में यूरोपीय नेताओं ने 'नाटो के अनुच्छेद 5 जैसी गारंटी' की बात कही। अनुच्छेद 5 के मुताबिक नाटो के हर सदस्य देश को दूसरे सदस्य देश पर आक्रमण की हालात में उसके बचाव में पूरी तरह उतरना होता है। इसमें कोई किंतु-परंतु नहीं चलता। यह याद रखना चाहिए कि 1994 का बुडापेस्ट समझौता किस प्रकार विफल रहा जहां यूक्रेन, बेलारूस और कजाखस्तान अपने परमाणु हथियार रूस को सौंपने को तैयार हुए थे और बदले में उन्हें अमेरिका, ब्रिटेन और रूस से सुरक्षा गारंटी मिली थी।

उसमें कहा गया था कि हस्ताक्षरकर्ताओं की स्वतंत्रता, संप्रभुता और मौजूदा सीमाओं का सम्मान किया जाएगा और उनके विरुद्ध बल प्रयोग या धमकी का इस्तेमाल नहीं होगा। खासतौर पर हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह प्रतिबद्धता जताई कि अगर यूक्रेन के विरुद्ध कोई आक्रामकता दिखाई जाती है या परमाणु हमले की धमकी दी जाती है तो उसे पूरी मदद दी जाएगी। हालांकि, रूस ने अपनी ही शपथ का उल्लंघन किया। उस पर प्रतिबंध या राजनीतिक अलगाव जैसे कदम उठाए गए लेकिन उस पर कोई सैन्य दबाव नहीं बनाया गया।

अगर चापलूसी का उद्देश्य ट्रंप से अधिक सकारात्मक बरताव की अपेक्षा करना था तो इसमें नाकामी हाथ लगी। अब ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक हो सकती है। इस बात की संभावना कम है कि पुतिन बिना ऐसे संकेत के किसी बैठक में शामिल होंगे कि रूसी कब्जे वाली यूक्रेन की जमीन रूस के पास ही रहने दी जाएगी और साथ ही कुछ नया इलाका भी उसे दिया जाएगा। अब सवाल यही है कि क्या पुतिन अपनी मांगें कम करेंगे या फिर क्या उन्हें विश्वास है कि उन्हें जो चाहिए वह सब मिल सकता है?

अगर पुतिन की अलास्का यात्रा के माहौल की तुलना वॉशिंगटन में पश्चिमी सहयोगियों की बैठक से करें, तो यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं है कि ट्रंप की पुतिन के प्रति निकटता कुछ अलग नजर आई। ट्रंप ने युद्धविराम की अपनी लगातार मांग को केवल एक बैठक में ही छोड़ दिया। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि रूस युद्ध नहीं रोकता, तो उस पर और उसके साथ व्यापार करने वालों पर और भी कठोर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वॉशिंगटन में आए नेताओं के स्वागत समारोह में ट्रंप को एक आगंतुक से यह कहते हुए सुना गया था कि पुतिन वास्तव में युद्ध समाप्त करना चाहते हैं और 'वह एक समझौता चाहते हैं।'

भारत अलास्का और वॉशिंगटन से क्या सबक ले सकता है? पहला, एक अहंकारी नेता के आगे झुकना खुद के लिए नुकसानदेह है। इससे लगातार अपमान की राह खुल जाती है। दूसरा, यह धारणा त्याग दी जानी चाहिए कि रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंधों को रोकने से भारत को रूसी तेल खरीदने पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क से राहत मिलेगी। ये दंडात्मक शुल्क रूस से अधिक भारत से संबंधित हैं। तीसरा, भारत को खुद को अमेरिका की शत्रुता की लंबी अवधि के लिए तैयार रखना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि हम यूरोपीय देशों द्वारा दिखाई गई पूर्ण अधीनता की पुनरावृत्ति से बचेंगे। आर्थिक पीड़ा से राहत पाने के लिए गरिमा और आत्मसम्मान का त्याग किसी भी तरह उचित नहीं है।

भारत की प्रतिक्रिया संतुलित और सोच-समझ कर दी जानी चाहिए। हमें अमेरिका के साथ ऐसा व्यापार समझौता करने का विकल्प खुला रखना चाहिए जो हमारे हितों की रक्षा करे, साथ ही अमेरिकी पूंजी और तकनीक के लिए द्वार भी खोले।

चार, भारत को इस वास्तविक संभावना के प्रति सतर्क रहना चाहिए कि ट्रंप चीन के शक्तिशाली नेता शी चिनफिंग के साथ किसी 'महासौदे' की कोशिश कर सकते हैं। एक समय में जहां भारत भू-राजनीतिक रूप से एक लाभकारी स्थिति में था, अब उसे हाशिए पर धकेला जा रहा है और उसकी स्वतंत्र भूमिका कम होती जा रही है।

इस स्थिति में भारत को समझदारी, धैर्य और छोटे-छोटे लाभों की निरंतर खोज की नीति अपनानी चाहिए, बजाय इसके कि वह किसी बड़ी पहल की ओर बढ़े। यह तूफान भी गुजर जाएगा।

(लेखक विदेश सचिव रह चुके हैं)

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की कम प्रतिष्ठा

देश में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की दूसरी पारी के दौरान वर्ष 2013 में अनूठे कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कानून की पेशकश की गई थी। यह कानून तब लाया गया था जब कंपनियों की छवि कुछ खराब हो रही थी। उस समय अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता, ओडिशा के एक आदिवासी इलाके में बॉक्साइट की खुदाई को लेकर विवादों में थी। इसके अलावा, पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील जंगलों में कोयला खनन की अनुमति देने या न देने के 'वर्जित क्षेत्र' को लेकर विवाद भी चल रहा था।

इसके अलावा सरकार की 2005 की विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) नीति के कारण किसानों से जमीन हड़पने के कई मामले सामने आए, जिनमें उन्हें सही मुआवजा नहीं मिला। इन खराब तरीकों के चलते एक नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाना पड़ा, जिसने कंपनियों के लिए जमीन खरीदना बहुत मुश्किल कर दिया। इसी दौरान, सत्यम घोटाला भी सामने आया, जिसने स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए और भारत के 'सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र' पर एक बड़ा दाग लगा दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को कम वेतन लेने की सलाह दी तब कंपनी जगत में हलचल मच गई।

सीएसआर खर्च को अनिवार्य करने का कदम वास्तव में कॉरपोरेट जगत की इन गलतियों को सुधारने और उन पर लगने वाले मिलीभगत के आरोपों का जवाब देने के लिए उठाया गया था। कंपनी अधिनियम की धारा 135 के तहत, एक निश्चित नेटवर्थ, टर्नओवर और मुनाफे वाली कंपनियों के लिए सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके तहत पात्र कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान हुए औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 फीसदी सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना होता है। ऐसा न करने पर कंपनियों को इसका कारण बताना होता है। इस कानून में यह भी बताया गया है कि किन क्षेत्रों में यह पैसा खर्च किया जा सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा, जिससे कंपनी जगत की तरफ से परोपकार के काम में दिए गए पैसे को सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों के साथ जोड़ा जा सके।

जिंदगीनामा

कनिका दत्ता

व्यापक तौर पर 'कोई नुकसान न पहुंचाने' के दार्शनिक सिद्धांत पर यह नीति काफी हद तक सफल रही है। केवल वित्त वर्ष 2024 में सीएसआर पर होने वाला खर्च तेजी से बढ़ा है और इस मद में सूचीबद्ध कंपनियों का खर्च 16 फीसदी बढ़कर करीब 17,967 करोड़ रुपये हो गया। प्राइम डेटाबेस के अनुसार, 98 फीसदी कंपनियों ने अपनी सीएसआर जिम्मेदारियों को पूरा किया और लगभग आधी ने तो तय सीमा से भी ज्यादा खर्च किए।

यह बात इसलिए भी खास है क्योंकि सीएसआर खर्च पर कर में छूट नहीं मिलती, जब तक कि पैसा किसी ऐसी संस्था को दान न किया जाए जिसे कर में छूट मिलती हो। गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए विदेशी फंडिंग में दिक्कत आने के कारण, घरेलू सीएसआर का पैसा जमीनी स्तर पर काम कर रहे कई स्वैच्छिक संगठनों के लिए फंडिंग का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बन गया है। इस नीति का एक और फायदा यह है कि इससे कॉरपोरेट क्षेत्र के अधिकारी अपने वातानुकूलित दफ्तरों से निकलकर असल भारत को देख पाते हैं। हालांकि, भारत की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बदलने की रणनीति के रूप में इसके फायदे कम दिखते हैं। हाल के कुछ अध्ययनों में पता चला है कि महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों को ही सीएसआर मद में मिली पूंजी का सबसे ज्यादा लाभ मिला है क्योंकि ज्यादातर कंपनियां यहीं मौजूद हैं। डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट के एक नए अध्ययन के अनुसार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के छह 'आकांक्षी' (कम आय वाले) क्षेत्रों को कुल सीएसआर पूंजी का 20 फीसदी से भी कम हिस्सा मिला है।

विभिन्न संस्थानों के कई शोधकर्ताओं ने पाया है कि ज्यादातर पैसा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बड़े क्षेत्रों में जाता है। झुग्गी-झोपड़ियों के विकास, आजीविका बढ़ाने और पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, जबकि ये भी अहम मुद्दे हैं। हालांकि, सीएसआर को सिर्फ नीतियों का पालन करने के लिए दिखावा करने वाला नहीं कह सकते लेकिन यह भी सच है कि कंपनियां उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करना पसंद करती हैं जो उनके दायरे में सीधे तौर पर नहीं आते हैं और जिनसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रचार मिलता है।

कानूनी रूप से सीएसआर खर्च को अनिवार्य करने से एक और समस्या पैदा होती है कि इसमें सरकार का हस्तक्षेप बढ़ सकता है। यह वास्तव में लाइसेंस राज के दौर की याद दिलाता है, जहां कानून पहले ही कंपनियों को बताता है कि उन्हें कितना खर्च करना है और वे किन चीजों पर खर्च कर सकते हैं। यह संभव है कि सीएसआर खर्च में क्षेत्रीय असमानता देखकर, सरकार भविष्य में क्षेत्र के आधार पर लक्ष्य भी तय कर दे। इस कानूनी जिम्मेदारी से और भी परेशानियां खड़ी होती हैं। उदाहरण के तौर पर, 2018 में सरकार ने 272 कंपनियों को नोटिस भेजा था क्योंकि उन्होंने सीएसआर की जिम्मेदारियां पूरी नहीं की थीं।

भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां कंपनियों के लिए सीएसआर (कंपनी अधिनियम की धारा 135 के तहत) कानूनी रूप से अनिवार्य है। वहीं, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे ज्यादातर देशों में ऐसी नीतियां हैं जो कंपनियों को सीएसआर कार्यक्रम चलाने के लिए सिर्फ प्रोत्साहित करती हैं।

इन पश्चिमी देशों में उत्तराधिकार कर का प्रावधान है। यही मुख्य कारण है कि बिल गेट्स और जॉर्ज सोरोस जैसे मशहूर अरबपतियों ने अपने जीवनकाल में ही बड़े पैमाने पर धर्मार्थ संस्थाएं (चैरिटेबल फाउंडेशन) बनाई हैं। भारत में भी उत्तराधिकार कर था, लेकिन 1985 में इसे हटा दिया गया क्योंकि इससे मिलने वाला राजस्व बहुत कम था और इसे संग्रह करने की लागत बहुत ज्यादा थी। हालांकि पश्चिमी देशों में, इस उत्तराधिकार कर के कारण सामाजिक कार्यों के लिए बहुत बड़ी रकम दान में दी जाती है जिससे विभिन्न तरह के मुद्दों पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है।

कानूनी रूप से सीएसआर को अनिवार्य करने से भारत में एक मजबूत सीएसआर-उद्योग का निर्माण हुआ है। इसके बावजूद, सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि चाहे दुनिया में कहीं भी और कितना भी सीएसआर पर खर्च किया जाए, लोगों की नजर में कंपनियों के द्वारा किए जाने वाले इस खर्च की प्रतिष्ठा का मूल्य अब भी उम्मीद से काफी कम है।

आपका पक्ष

मानव संसाधन क्षमता एवं दक्षता बढ़ाने पर हो जोर

भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कई मोर्चे पर काम करना होगा। देश इंटरनेट पर एआई सीखने वाले छात्रों और पेशेवरों की संख्या के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन सीखने की बड़ी संख्या के बावजूद कौशल और दक्षता के स्तर पर अभी काफी अंतर है। अतः इस अंतर को पाटने और भारत को कौशल और दक्षता के बल पर आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरकार, उन्नत कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू कर सकती है। साथ ही, उद्योगों के साथ मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए। भारत को नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए काम करना चाहिए। वहीं अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति के नए संस्करण को लागू करना व भूमि स्वामित्व में असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता है। आयात को कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना और आत्मनिर्भरता के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम करना बेहद आवश्यक है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

देश इंटरनेट पर एआई सीखने वाले छात्रों और पेशेवरों की संख्या के मामले में दुनिया में सबसे आगे है

प्रधानमंत्री का संबोधन काफी सकारात्मक रहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में लगभग हर विषय पर अपनी बात कही, जिसमें देश के विकास, देश की खुशहाली की बात सकारात्मकता के साथ प्रस्तुत की। ऑपरेशन सिंदूर, सिंधु जल समझौता, आत्मनिर्भर भारत, कृषि क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, रोजगार, स्वच्छ ऊर्जा, महिला विकास, अंतरिक्ष और समुद्र अनुसंधान, सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की स्थापना पर बात रखी। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने तथा तेल, गैस तथा न्यूक्लियर एनर्जी में आत्मनिर्भर होने की बात भी रखी। शीघ्र ही अंतरिक्ष में अपना स्टेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही। आजादी के सौवें साल तक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र को 10 गुना बढ़ाने की बात कही। प्रधानमंत्री का संबोधन विश्व में भारत की छवि एक विकासशील और उन्नतिशील देश के रूप में प्रस्तुत करने के लिए रहा।

संजय डागा, इंदौर

देश की समृद्धि और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य

प्रधानमंत्री के भाषण का सार भारत को समृद्ध और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है, जिसमें आर्थिक आत्मनिर्भरता, तकनीकी प्रगति, सामाजिक और देश की सुरक्षा प्रमुख हैं। उन्होंने आर्थिक सुधारों में जीएसटी से राहत और युवाओं को रोजगार, अवैध घुसपैठ पर रोक एवं परमाणु क्षमताओं में वृद्धि, पीएम विकसित भारत योजना के साथ ट्रंप को यह संदेश दिया कि भारत के लिए उसके हित सर्वोपरि हैं और टैरिफ को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को भी चेताया है कि परमाणु धमकियों से भारत डरेगा नहीं और दुस्साहस करने पर जवाब दिया जाएगा।

रामबाबू सोनी, इंदौर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह ने बीकानेर के नाल स्थित वायुसैनिक अड्डे पर पिछले सप्ताह मंगलवार को मिग-21 लड़ाकू विमान से अंतिम उड़ान भरी। इन विमानों को 26 सितंबर को चंडीगढ़ में आयोजित औपचारिक सेवानिवृत्ति समारोह में अंतिम विदाई दी जाएगी। रूसी मूल के लड़ाकू विमान मिग-21 ने 62 वर्षों तक वायुसेना की सेवा की।

दैनिक जागरण

गुण सब स्थानों पर अपना आदर करा लेता है

संसदीय प्रक्रिया से पलायन

सपा, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना समेत आम आदमी पार्टी उस विधेयक पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति में शामिल होने को तैयार नहीं, जिसके तहत आपराधिक मामलों में 30 दिन तक हिरासत अथवा जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं उनके मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। इन दलों के इस फैसले ने केवल कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दलों का असमंजस बढ़ाने का ही काम नहीं किया, बल्कि विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए की एकजुटता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस अपने नेतृत्व वाले गठबंधन की एका का परिचय देने के लिए कुछ भी करे, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जो दल संसदीय समिति में शामिल होने को तैयार नहीं, वे वही हैं, जो व्यक्ति या परिवार विशेष की ओर से संचालित हैं। यह पहली बार नहीं, जब व्यक्ति या परिवार केंद्रित दल राजनीतिक एवं चुनावी सुधारों की किसी पहल को प्रभावी बनाने में असहयोग कर रहे हों। अपने देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार एक कटु सच्चाई है, लेकिन जब भी उस पर लगाम लगाने की कोई पहल होती है, किसी न किसी बहाने उसका विरोध शुरू हो जाता है। इसका ही ताजा उदाहरण है 130वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध।

आम तौर पर जब विपक्ष सदन में किसी विधेयक का विरोध करता है तो उसे संसदीय समिति भेजने की भी मांग करता है। अब जब किसी मामले में फंसकर जेल गए सत्ताधारी नेता को हटाने के प्रविधान वाले विधेयक को ऐसी ही समिति में भेजने का फैसला कर लिया गया है, तब कई विपक्षी दल उसका बहिष्कार करना आवश्यक समझ रहे हैं। यह और कुछ नहीं, संसदीय परंपरा और प्रक्रिया से पलायन है। समझना कठिन है कि विपक्षी दल उक्त विधेयक पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? कोई भी समझ सकता है कि उक्त विधेयक मुख्यतः भ्रष्ट नेताओं के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लाया जा रहा है। आखिर यह काम क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्या यह किसी से छिपा है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस तरह जेल से सरकार चलाने की जिद पकड़े थे? हालांकि प्रस्तावित कानून पूर्ण राज्य का दर्जा वाले प्रांतों के लिए नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि कुछ समय पहले भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में कई माह जेल में रहे तमिलनाडु के सेंथिल बालाजी किस तरह जमानत पाते ही मंत्री बना दिए गए थे। क्या विपक्षी दल यह चाहते हैं कि नेताओं को जेल से सरकार चलाने या जमानत पर होते हुए भी मंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए? यदि वे अपने लिए विशिष्ट नियम-कानून चाहते हैं तो यह विशेषाधिकारों की पराकाष्ठा ही है।

कौशल विकास और आय

यह सर्वविदित है कि किसी भी कार्य में निपुणता व्यक्ति को विशेष बना देती है। वर्तमान समय में कुशल मानव बल की मांग बढ़ी है। यही वजह है कि सरकार के स्तर पर कौशल विकास को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। बिहार में महिलाओं के विकास के लिए सरकार ने आरक्षण से लेकर और भी कई तरह की सहूलियतें दी हैं। अब कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को कार्य में दक्ष बनाकर उनकी आमदनी बढ़ाई जाए। राज्य में स्वयं सहायता समूहों से बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हैं। श्रम संसाधन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त रूप इस बिंदु पर कार्य कर रहे कि स्वयं सहायता से जुड़ी कम से कम 12 लाख महिलाओं का कौशल विकास किया जाए। निश्चित रूप से इस प्रयास से महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी। दोनों विभागों ने इसके लिए विशेष पाठ्यक्रम बनाने की दिशा में काम आगे बढ़ाया है। फिलहाल समूह से जुड़ी महिलाएं अपने स्तर से विभिन्न कार्यों को अंजाम दे रही हैं। समूह से जुड़कर उनकी माली हालत सुधरी है। कई तो इतनी सशक्त हैं कि पूरे घर के खर्चे की जिम्मेदारी का खुद निर्वहन कर रही हैं। कुछ माडल के रूप में भी उभरी हैं। जरूरत है इनकी राह को आसान बनाना। यह तभी संभव है जब उन्हें कार्य में निपुण बनाया जाए। सरकार की तैयारी इसी स्तर पर है। यह प्रगतिशील सोच और सराहनीय प्रयास है।

कौशल विकास प्रशिक्षण से निश्चित रूप से महिलाएं सशक्त होंगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी

एनजीओ के मुखौटे में विकास विरोधी शक्तियां

बलबीर पुंज

कुछ लोग पर्यावरण-मानवाधिकारों की रक्षा की आड़ में देश की आर्थिक-सामरिक क्षमता को क्षति पहुंचाते हैं

हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने उन शक्तियों को फिर बेनकाब कर दिया, जो पर्यावरण-मानवाधिकार के मुखौटे पहनकर देश के विकास को दशकों से बाधित कर रही हैं। इसी योजनाबद्ध प्रपंच का परिणाम है कि भारत और चीन, जो 1985 तक आर्थिक विकास की दृष्टि से बराबर थे और दोनों देशों में प्रति व्यक्ति जीडीपी समतुल्य (293 डालर) था, उनके बीच अब बहुत अंतर आ गया है। चीन की वर्तमान प्रति व्यक्ति जीडीपी 13,300 डालर है, तो भारत का आंकड़ा 2,800 डालर है। चीनी अर्थव्यवस्था लगभग 19.5 ट्रिलियन डालर और भारतीय अर्थव्यवस्था चार ट्रिलियन डालर की है। यह विषमता केवल संयोग नहीं, बल्कि विकास विरोधी ताकतों का भी प्रत्यक्ष परिणाम है। सबसे पहले पूरा मामला जान लेते हैं। 11 अगस्त को शीर्ष अदालत ने मेधा पाटकर को मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि के निर्णय को बरकरार रखा। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय से भी मेधा को निराशा हाथ लगी थी। पाटकर को राहत केवल इसकी है कि निचली अदालत द्वारा लगाया आर्थिक दंड निरस्त कर दिया गया। मामला 2000 का है, जब दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल वीके सक्सेना की पंजीकृत समिति 'नेशनल काउंसिल आफ सिविल लिबर्टीज' (एनसीसीएल) गुजरात में सरदार सरोवर बांध परियोजना का समर्थन कर रही थी, जबकि पाटकर के नेतृत्व में 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' (एनबीए) पर्यावरण-मानवाधिकार के नाम पर विरोध कर रहा था। उस समय एनसीसीएल ने एक समाचार पत्र में 'मेधा पाटकर और उनके नर्मदा बचाओ आंदोलन का असली चेहरा' नाम से विज्ञापन प्रकाशित किया। इसके प्रत्युत्तर में पाटकर ने 'देशभक्त का असली चेहरा...' नाम से एक प्रेस-नोट जारी किया। इसके ही खिलाफ वीके सक्सेना ने सफल कानूनी लड़ाई लड़ी। इस प्रकरण ने मानहानि के साथ उस विडंबना को भी उजागर किया, जिसमें भारत की विकासयात्रा चीन और अन्य देशों से पिछड़ती चली गई।

चीन ने यांग्त्जी नदी पर 22,500 मेगावाट की क्षमता वाला विशाल 'थ्री गार्जेस बांध' लगभग एक दशक में पूरा कर लिया। इस दौरान 13 नगर, 140 कस्बे और 1,350 गांव डूब गए और लगभग 13 लाख लोगों का विस्थापन हुआ। इसके विपरीत नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध चीनी बांध की तुलना में काफी कम शक्तिशाली (1,450 मेगावाट) है। इससे केवल 178 गांव ही प्रभावित हुए और विस्थापितों की संख्या भी अपेक्षाकृत कम थी। सरदार सरोवर बांध परियोजना पूरा करने में भारत को 56 वर्ष लग गए। इस बांध की आधारशिला 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस परियोजना को बाधित करने की कोशिश मेधा पाटकर के एनबीए ने 1985 से ही प्रारंभ कर दी थी, इसके लिए भारतीय न्यायिक प्रक्रिया का भी दुरुपयोग किया गया। 2017 में इस बांध के शुरू होने से आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बिजली के अतिरिक्त गुजरात के 9,490 गांवों को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। गुजरात के 3,112 गांवों में 18 लाख हेक्टेयर से अधिक, राजस्थान के बाड़मेर-जालौर में 2.46 लाख हेक्टेयर और महाराष्ट्र में आदिवासी क्षेत्र के 37,500 हेक्टेयर भूखंड को सिंचाई हेतु पानी प्राप्त हो रहा है। जिस नर्मदा का पानी लोगों की प्यास बुझाने के साथ सिंचाई के काम आ रहा है, वह दशकों तक अरब सागर में बहता रहा। इस जीवनदायिनी बांध परियोजना के मार्ग में वर्षों तक रोड़े अटकाने का 'पुरस्कार' मेधा पाटकर को 'राइट लाइवलीहुड अवार्ड', 'गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड', 'बेस्ट इंटरनेशनल पालिटिकल कैंपेनर के लिए ग्रीन रिबन अवार्ड', 'एमनेस्टी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर अवार्ड', 'बीबीसी पर्सन आफ द ईयर' आदि के रूप में मिला। मेधा के आंदोलन पर बनी 'ए नर्मदा डायरी' को 1996 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिया गया।

अवधेश राजपूत

मेधा और उनके सहयोगी जिस एजेंडे की पूर्ति हेतु काम कर रहे थे, वह भारत-विरोधी शक्तियों को भाया और उन्होंने उन्हें सिर पर बिठाया। अर्थशास्त्री और लेखक स्वामीनाथन अय्यर मानते हैं कि मेधा अब भी सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों को लेकर झूठ बोल रही हैं, जबकि कई परिवार पहले से कहीं अधिक आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर हो गए हैं। स्वयं अय्यर भी मेधा के मायाजाल का शिकार थे। उन्होंने माना था, 'मैंने मेधा के तर्कों को प्रेरक पाया और परियोजना का विरोध करते हुए लिखा...मैं गलत था। उन्होंने मेरे साथ हजारों मानवतावादियों को मूर्ख बनाया।' यह कोई पहला प्रसंग नहीं है। तमिलनाडु स्थित भारत-रूस संयुक्त उपक्रम कुडनकुलम परमाणु संयंत्र इसका जीवंत उदाहरण है। देश की ऊर्जा-क्षमता बढ़ाने के इस प्रकल्प को वर्षों तक अड़चनों का सामना करना पड़ा। इसके खिलाफ जहां अमेरिकी वित्तपोषित एनजीओ सक्रिय थे, वहीं कुछ चर्च भी।

2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, 'कुडनकुलम परमाणु परियोजना और कृषि क्षेत्र में वृद्धि हेतु जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रयोग का विरोध करने के पीछे विदेशी वित्त प्राप्त एनजीओ का हाथ है।' इसी प्रायोजित विरोध से इस परियोजना के व्यावसायिक संचालन में आठ वर्ष विलंब हुआ, जिससे इसकी लागत में करोड़ों रुपये की अतिरिक्त वृद्धि हो गई। जब केरल में तिरुवनंतपुरम स्थित विझिंजम बंदरगाह का निर्माण शुरू हुआ, तब बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन खड़े कर दिए गए। यह आंदोलन स्थानीय मछुआरों के नाम पर चलाया गया, किंतु इसके पीछे चर्च की सक्रिय भूमिका सामने आई। अगस्त 2022 को स्वयं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को विधानसभा में कहना पड़ा, 'जो विरोध हो रहा है, उसे स्थानीय मछुआरों का विरोध नहीं कहा जा सकता।'

कथित पर्यावरणीय चिंताओं के नाम पर योजनाबद्ध हिंसक प्रदर्शनों के चलते तूतुकुड़ी (तूतीकोरिन) स्थित वेदांता समूह के स्वामित्व वाले स्टरलाइट तांबा स्मेल्टर को 2018 में बंद करना पड़ा। 2017-2018 तक भारत विश्व के शीर्ष पांच तांबा निर्यातकों में शामिल था, किंतु अब देश तांबे का आयातक है। यह बताता है कि किस प्रकार पर्यावरण हित के नाम पर देश की आर्थिक-सामरिक क्षमता को क्षति पहुंचाई जाती है। यदि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का उद्देश्य प्राप्त करना है, तो उसे देश-विरोधियों और उनके मुखौटों से सावधान रहना होगा।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

चुनाव प्रक्रिया से भरोसा डिगाने की चेष्टा

डा. हरवंश दीक्षित

वोट चोरी के आरोप कुछ वैसे ही गैर जिम्मेदाराना हैं, जैसे ट्रंप ने अमेरिका में लगाए और नतीजे में वहां हिंसा हुई

कई बार आधारहीन, किंतु लोक-लुभावन जुमले लोकतंत्र को घातक चोट पहुंचाते हैं। वोट-चोरी जैसा आरोप इसी तरह के प्रयासों में से एक है। लोकतंत्र केवल चुनावों से ही नहीं, अपितु चुनाव-प्रक्रिया पर जनता के भरोसे पर पुष्पित-पल्लवित होता है। इसके लिए जरूरी है कि मतदान केंद्र पर कतार में अपनी बारी का इंतजार करते हुए मतदाताओं के मन में यह अटूट भरोसा हो कि उनका वोट सुरक्षित है और उनका निर्णय देश की दिशा तय करेगा। हाल के दिनों में कांग्रेस की आगुआई में कुछ दलों द्वारा वोट-चोरी जैसे आरोपों ने इस विश्वास को चुनौती देने का प्रयास किया है। इससे चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की साख को चोट पहुंच रही है। संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग-15 में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग की स्थापना की। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 तथा रजिस्ट्रेशन आफ इलेक्टोरल रूल्स-1960 बनाया, जिनमें मतदाता सूची के निर्माण, उसका प्रकाशन, उन पर आपत्तियों का आमंत्रण और उनके सम्यक निस्तारण की चरणबद्ध व्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है तो उसे अपील का अधिकार है। उसके पास अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय जाने का विकल्प भी उपलब्ध है। इस पूरी कानूनी व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि किसी के साथ अन्याय न हो। एक व्यक्ति को केवल एक जगह ही मतदान का अधिकार हो। किसी का नाम छूट गया है तो वह अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन करे और किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जुड़ गया है, जो मतदाता होने का हकदार नहीं है, तो उस पर आपत्ति दर्ज करके उसे हटाया जा सके। यह पूरी प्रक्रिया दुनिया के दूसरे किसी भी लोकतंत्र से अधिक पारदर्शी है। यही कारण है कि शीर्ष न्यायालय ने कभी इस प्रक्रिया पर प्रश्न नहीं उठाया।

चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों का सबसे निराशाजनक पहलू यह है कि यह अपनी असफलता को छिपाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि देर-सबेर जनता इसकी सच्चाई को समझ जाएगी, किंतु कई बार इससे फौरी तौर पर घातक और कई बार अपूरणीय क्षति हो जाती है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के चुनावों के बाद इसी तरह के जुमले का प्रयोग करते हुए चुनाव-चोरी का आरोप लगाया था। परिणाम यह हुआ कि अमेरिका के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार कैपिटल हिल पर हिंसा भड़क उठी और अमेरिकी लोकतंत्र की छवि को गहरी चोट पहुंची। ब्राजील भी इस तरह के आरोपों की सजा भुगत चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश भी इसकी कीमत चुका रहे हैं। चूंकि हमारे देश में एक मजबूत कानूनी एवं न्यायिक ढांचा है और अधिकांश जनता भी परिपक्व है, लिहाजा किसी उथल-पुथल की आशंका नहीं है। इस तरह के सस्ते हथकंडों का प्रयोग राजनीतिक दलों की नींव को ही कमजोर करता है।

संवैधानिक संस्था पर शर्मनाक हमला। एएनआइ

लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार सभी को है। यदि किसी व्यक्ति को मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में किसी का नाम जुड़ने या हटने पर आपत्ति है, तो उसे अदालत जाने का अधिकार है, किंतु इन विकल्पों के प्रयोग के बजाय किसी प्रमाण के बिना ही 'वोट चोरी' जैसे जुमले के प्रयोग से जनता में भ्रम और संदेह फैलता है, जो किसी के भी हित में नहीं है। राजनीतिक दलों का दायित्व है कि वे राजनीतिक लड़ाई के लिए झूठ और फरेब का सहारा न लें। वे जनता को लोकतंत्र की शक्ति में विश्वास दिलाएं। उन्हें निराश न करें। संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रहार करना दीर्घकालिक रूप से लोकतंत्र को कमजोर करता है। ऐसा करके दल अनजाने में उसी डाल को काट रहे होते हैं, जिस पर वे बैठे हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि वे तभी तक सुरक्षित हैं, जब तक लोकतंत्र की जड़ों को जनविश्वास का पोषण मिलता रहता है। एक बार उसके टूटने पर सबकी सुरक्षा खतरे में पड़ती है। परिपक्व लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से विशेष रूप से अपेक्षा की जाती है कि संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना तथ्यों पर आधारित हो। यदि किसी को कोई आपत्ति है, तो वह अनर्गल आरोपों के बजाय कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उसका हल ढूंढ़े।

नेताओं के शब्द उनके समर्थकों के लिए मंत्र की तरह होते हैं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उन्हें अपनी भाषा और शब्दावली पर संयम बरतना चाहिए। 'वोट-चोरी' जैसा नारा मुमकिन है कि कुछ भीड़ आकर्षित कर ले, किंतु इससे लोकतंत्र के आत्मा को गहरी चोट पहुंच रही है। चुनाव आयोग पर लगाए जाने वाले आरोपों और आयोग के जवाब से यह साफ है कि देश को अभी भी संवैधानिक मर्यादा और जिम्मेदार राजनीति की जरूरत है। यदि संविधान में सच्ची आस्था है तो दलों को लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। यही जन-विश्वास को बनाए रखने का एकमात्र रास्ता है।

(लेखक तीर्थंकर महावीर विवि, मुरादाबाद में विधि संकाय के डीन हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

क्षमा

मानव जीवन में क्षमा का स्थान अत्यंत पवित्र है। यह केवल सामाजिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि आत्मा को परिष्कृत करने वाला साधन है। क्षमा की चेतना में प्रवेश करते ही मनुष्य का अहंकार, राग-द्वेष, क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला शिथिल हो जाती है। क्षमा का अर्थ है- स्वयं को हल्का करना, आक्रोश से मुक्त करना और अपने भीतर की करुणा को जागृत करना। यह वह द्वार है जहां से आत्मा शांति और परम आनंद की ओर अग्रसर होता है। जब हम क्षमा करते हैं, तो वस्तुतः हम दूसरों से अधिक स्वयं को मुक्त करते हैं। द्वेष और कटु स्मृतियां मन पर बोझ बनकर बैठती हैं, क्षमा उस बोझ को उतारने की कला है। संतों ने कहा है- क्षमा वीरस्य भूषणम्। यह दुर्बल का सहारा नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का परिचायक है। क्षमा में साहस है, क्योंकि इसमें अपने अहं को तोड़ना पड़ता है।

प्रत्येक प्राणी अपने अज्ञान और मोहवश भूल करता है। जैसे अंधेरे में ठोकर लगना स्वाभाविक है, वैसे ही मोहांध व्यक्ति से त्रुटि होना भी स्वाभाविक है। जब यह समझ जागती है, तब क्रोध की जड़ें सूखने लगती हैं। क्षमा साधना का मार्ग चार सूत्रों पर आधारित है। पहला-यह मान लेना कि कोई भी पूर्ण नहीं है, सबसे भूल होती है। दूसरा-यह दृष्टि कि दूसरों का आचरण उनके संस्कार और परिस्थितियों से संचालित होता है। तीसरा है यह भाव कि जैसे हम अपने लिए सहानुभूति चाहते हैं, वैसे ही दूसरों को भी दें। चौथा है क्रोध और द्वेष को छोड़कर आत्मा को हल्का करना। राग-द्वेष में जीना आत्मा की यात्रा को बाधित करता है। क्षमा ही आत्मा को उसकी निर्मलता, शांति और स्वाध्याय से जोड़ती है। यह अंतस में प्रकाश फैलाती है और हमें दिव्य ऊर्जा से भर देती है। क्षमा केवल व्यावहारिक गुण नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धतम आभूषण है।

ललित गर्ग

मन की बात कहने की आजादी

कल्पना मनोरमा

संस्कार का उद्देश्य लड़कियों को आत्म-सम्मान, विवेक और आत्म-सुरक्षा सिखाना होना चाहिए, न कि डर और चुप्पी

घरों में अक्सर कहा जाता है, "इतना ऊंचा मत हंसो, लड़कियां ऐसे नहीं हंसतीं", "पैर घसीटकर मत चलो, सलीके से बैठो-उठो", "लड़कियां ढकी-छिपी ही सोहती हैं।" कक्षा में ऊंची आवाज में बोलने पर अध्यापिका से डांट पड़ जाती है। पड़ोस और रिश्तेदारों की नजरें भी उनकी हर चाल-ढाल पर लगी रहती हैं। घर से बाहर जाने पर निर्देश और भय और स्पष्ट हो जाते हैं, "सूरज ढलने से पहले घर आ जाना।" "मेहमानों के सामने चुप रहो, जोर से हंसना या तर्क करना बदतमीजी है।" "लड़कों के साथ खेलना ठीक नहीं।"

इस तरह के लगातार निर्देश और सावधानियां नन्हीं बच्चियों के मन में संकोच और भय पैदा कर देते हैं। बाल विकास विशेषज्ञ डा. वीणा भटनागर बताती हैं कि इस तरह के दबाव में पली लड़कियों की आत्म-प्रस्तुति बारह से चौदह वर्ष की उम्र तक लड़कों की तुलना में लगभग 35 प्रतिशत कम रह जाती है। संस्कार का उद्देश्य आत्म-सम्मान, विवेक और आत्म-सुरक्षा सिखाना होना चाहिए, न कि डर और चुप्पी। अंतरराष्ट्रीय स्तर की मनोविज्ञानी डा. कैरोल गिलिगन लिखती हैं कि बचपन से लड़कियों को दूसरों को प्राथमिकता देने की आदत डाल दी जाती है। जब वे यह मानने लगती हैं कि उनकी स्वीकृति मौन और आज्ञाकारिता पर निर्भर है, तो उनका व्यक्तित्व अधूरा रह जाता है। लोक कथाएं, टीवी, कार्टून और विज्ञापन भी यही संदेश देते हैं- 'अच्छी लड़की' हमेशा आज्ञाकारी, मददगार और मुस्कुराती हुई होती है। बच्चियां इसे अवचेतन रूप से अपनाती हैं। यदि वे अलग व्यवहार करें, तो अपराधबोध या सामाजिक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार, छह-सात वर्ष की उम्र में बच्चियों का सामाजिक और पारिवारिक संस्कारों का घेरा अत्यधिक जटिल और व्यापक हो जाता है।

यदि इस उम्र में उनका पालन-पोषण भरोसे, सुरक्षा और समझदारी पर आधारित हो, तो उनमें साहस, आत्म-विश्वास और स्वतंत्रता की क्षमता विकसित होती है। आदेश और आज्ञाकारिता के बजाय समझ और सहयोग का वातावरण तैयार करना जरूरी है, ताकि बच्चियां हंसी, प्रश्न और सपनों को बिना भय के व्यक्त कर सकें। इस बात पर बार-बार ध्यान जाना चाहिए कि संस्कार केवल शब्दों से नहीं दिए-लिए जाते, बल्कि मां और बाकी सदस्यों के व्यवहार से मौन रूप गढ़े जाते हैं। जब पालन-पोषण सजगता, समझदारी और संवेदनशीलता से किया जाएगा तभी बच्चियां स्वतंत्र, विवेकी और सशक्त बनेंगी। बचपन जीवन की इमारत की नींव है तो संस्कार पूरे जीवन का संतुलन और सूझबूझ। एक सकारात्मक, संतुलित और सुदृढ़ नजरिये वाली बालिका न केवल अपने लिए, बल्कि समाज के लिए भी न्याय, साहस और सहानुभूति की राह बनाती है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

रैबीज मुक्त भारत का लक्ष्य

'स्थानीय निकायों पर निगाह' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में लिखा है कि आवारा कुत्तों की समस्या स्थानीय निकायों की लापरवाही और प्रशासनिक ढिलाई से गंभीर रूप ले चुकी है और यदि राज्य सरकारें उन्हें जवाबदेह नहीं बनाएंगी तो 2030 तक रैबीज मुक्त भारत का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। देखा जाए तो भारत में आवारा कुत्तों की समस्या अब केवल असुविधा नहीं, बल्कि गंभीर जनस्वास्थ्य संकट बन चुकी है। रैबीज जैसी घातक बीमारी हर वर्ष हजारों जानें ले रही है। जब बच्चों और किशोरों की सबसे अधिक बलि चढ़ रही हो, तब प्रशासनिक लापरवाही अक्षम्य है। स्थानीय निकायों का रवैया ढुलमुल और गैर-जिम्मेदाराना रहा है। केवल केंद्र या राज्य सरकारों के निर्देश पर्याप्त नहीं, बल्कि कड़ाई से लागू होने वाली जवाबदेही प्रणाली ही समाधान दे सकती है। हर नगर निकाय को लक्ष्य तय कर मासिक रिपोर्टिंग करनी चाहिए और उसकी प्रगति सार्वजनिक की जानी चाहिए। नसबंदी और टीकाकरण के साथ-साथ पशु आश्रयगृहों का निर्माण भी जरूरी है। यह कार्य महज दानशीलता या पशु-प्रेम पर नहीं छोड़ा जा सकता। यह शहरी प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य का अभिन्न हिस्सा है। वित्तीय सहायता तभी सार्थक होगी, जब उसके साथ पारदर्शी कार्यान्वयन और कड़ी निगरानी जुड़े। 2030 तक रैबीज मुक्त भारत का संकल्प केवल नारों से नहीं पूरा होगा। अब समय है कि सरकारें और निकाय इस संकट को आपातकालीन स्वास्थ्य अभियान की तरह लें। मानव जीवन की सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलित समाधान ही आगे का रास्ता है।

अमन सिंह गौर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

स्कूलों में बम की धमकी

एक समय था जब विमानों में बम मिलने की धमकियां आम हो गई थीं, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिलता था। इससे यात्रियों को काफी परेशानी होती थी। अब वही स्थिति दिल्ली के स्कूलों में देखने को मिल रही है। जब इन धमकियों की जांच की जाती है, तो वहां भी कुछ नहीं मिलता। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि ये धमकियां फैलाने वाला गिरोह कौन है। पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि ये धमकियां साइबर कैफे से भेजी जा रही हैं। धमकी भरे ईमेल ऐसे स्थानों से आते हैं, जहां उनका कोई ठोस आधार नहीं होता। जांच में यह भी पता चला है कि इन ईमेल को भेजने वाले वीपीएन और डार्क वेब का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। अब तक पचास से अधिक स्कूलों में बम की धमकियां मिल चुकी हैं। इसलिए, पुलिस को इस मामले में तत्परता से जांच करनी चाहिए और इन ईमेल धमकियों का पर्दाफाश करना चाहिए। आज हम डिजिटल इंडिया के मामले में अग्रणी हैं, लेकिन इस तरह की शिकायतों पर कार्रवाई करने में असफल क्यों रहते हैं?

मनमोहन राजावत, नई सड़क, शाजापुर

अमेरिका की विदेश नीति

अमेरिका की विदेश और रक्षा नीति में नेतृत्व और सत्ता में बदलाव के बावजूद ज्यादा परिवर्तन नहीं होते। यह तथ्य तब और भी स्पष्ट होता है जब भारत और दक्षिण मध्य एशिया पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान में तख्ता पलट किया गया। जो बाइडन के नेतृत्व में यह नीति अपनाई गई थी। इसी नीति के तहत ट्रंप भी भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत से भयभीत होकर कभी ऊंचे टैरिफ थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी आंतरिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। बाइडन के कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को गिराने के प्रयास में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के माध्यम से अदाणी पर प्रहार किया गया था। अब अमेरिकी तंत्र रूसी तेल व्यापार से जुड़कर अंबानी को घेरने में लगा है। इन सभी अमेरिकी षड्यंत्रों से भारत और उसके नेतृत्व की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। विदेशी ताकतें विपक्ष को मोहरा बनाकर भारत की समृद्धि पर नकेल कसना चाहती हैं। न केवल सरकार और विपक्ष, बल्कि हमें, भारत के नागरिकों को भी देश के साथ अडिग खड़ा रहना होगा। हमें पुरानी भूलों की पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए।

विवेक मिश्रा, खंडवा (मप्र)

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

100 अरब डालर तक पहुंच चुका है चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा। भारत चीन से मुख्य रूप से इलेक्ट्रानिक सामान, सोलर सेल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, फर्टिलाइजर्स एवं क्रिटिकल मिनरल्स आयात कर रहा है।

आजकल

देश और समाज के हित में सही निर्णय

ज्योति रंजन पाठक
स्वतंत्र टिप्पणीकार

आनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगाने के लिए बनाया गया नया कानून लागू हो गया है। वस्तुतः आनलाइन गेम से बड़ी संख्या में लोगों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में सालाना 20 हजार करोड़ रुपये तक जीएसटी देने वाले इस उद्योग को देश एवं समाज हित में बंद करने का निर्णय लिया गया। इससे लोगों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी एवं युवाओं में आनलाइन गेम्स की लत कम होगी और ई-स्पोर्ट्स एवं कौशल-आधारित खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा

प्रतीकात्मक

आनलाइन गेमिंग बिल पर कानून बन जाने के बाद गेमिंग कंपनियों ने रियल मनी गेम बंद करना शुरू कर दिया है। आज जब पूरी दुनिया में डिजिटल क्रांति ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, उसमें आनलाइन गेमिंग की दुनिया अधिक विवादित रही है। जहां एक ओर ई-स्पोर्ट्स और कौशल-आधारित खेलों ने भारत को विश्व के मानचित्र पर अलग पहचान दिलाई, वहीं पैसे के सट्टे से खेले जाने वाले खेल ने समाज और सरकार को चिंता में डाला है। लेकिन अब जाकर सरकार ने सही कदम उठाया है। दरअसल यह कानून भारतीय समाज के डिजिटल नीति के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक दिशा तय करेगा। इस कानून में रियल मनी आधारित गेम्स और सट्टेबाजी, विज्ञापन व वित्तीय लेन-देन से संबंधित रोकथाम के प्रविधान हैं।

पिछले कुछ वर्षों से आनलाइन रियल मनी गेम्स की लत ने बड़ी संख्या में युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी है। हम जानते हैं कि इसमें सट्टेबाजी होती है। इस तरह के आनलाइन सट्टेबाजी गेम्स में भाग लेने वाले युवाओं को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान उठाना पड़ता है। एक तरफ आनलाइन गेमिंग कंपनियां बहुत अधिक लाभ कमाकर व्यापार को बढ़ा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर कर्ज में फंसने के कारण न जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग डिप्रेशन का शिकार बनते जा रहे हैं। हारने वाले लोग उस कर्ज को चुकाने के लिए किसी अन्य जगह से पैसे कर्ज लेते हैं और नहीं चुकाने पर सामाजिक पारिवारिक छवि धूमिल होती है, जिस कारण आत्महत्या ही विकल्प के तौर पर पीड़ित व्यक्ति को समझ में आता है।

हालांकि पूर्व में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने इस तरह के गेम्स पर रोक लगाई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस तर्क के साथ इस पर पाबंदी हटा दी थी कि आनलाइन गेम्स कौशल से जुड़ा खेल है। उसके बाद ऐसी कंपनियां धड़ल्ले से इस तरह का कारोबार करने लगीं। क्रिकेट टीम के प्रचार में भी इस तरह की कंपनियां प्रायोजक अधिकार खरीदने लगीं, जिससे ऐसे कानून बनाने की नितांत आवश्यकता थी, ताकि सट्टेबाजी वाली गेमों पर नकेल लग सके। परंतु इस कानून के अंतर्गत ई-स्पोर्ट्स और कौशल-आधारित व गैर-आर्थिक गेमिंग को बढ़ावा देने की बात की गई है। सरकार का कहना है कि उसे ई-स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करना है, ताकि आने वाले समय में 'नेशनल ई-स्पोर्ट्स अथोरिटी' जैसी संस्था की स्थापना की जा सके। इससे डिजिटल खेलों के प्रति उदासीनता नहीं होगी और उन युवाओं को अवसर भी मिलेगा जो गेमिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस कानून के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करना जरूरी हो जाता है कि इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को केंद्रीय नियामक की भूमिका सौंपी गई है, जिसे यह अधिकार होगा कि गैर-पंजीकृत या अवैध गेमिंग प्लेटफार्म को ब्लाक कर सके, जो देश के युवाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में आनलाइन गेमिंग का बाजार 2023-24 में 3.8 अरब डालर तक था। साल 2024 में आनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या 45 करोड़ तक बताई गई है। यह इंडस्ट्री जब इतने लोगों को जाब दे रही है, तो इस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता क्या है? इसका जवाब देशहित और समाजहित में है। तमाम खूबसूरत आंकड़ों के बावजूद आनलाइन रियल मनी गेम्स के प्रतिबंध से सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी और युवाओं में ई-स्पोर्ट्स के प्रति रुझान बढ़ेगा।

वस्तुतः आनलाइन रियल मनी गेम्स पर हो सट्टेबाजी को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। लिहाजा सरकार ने इसपर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। आनलाइन गेमिंग में फंसे उपभोक्ताओं को न तो किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त था और न ही उनकी शिकायत की सुनवाई करने वाली व्यवस्था थी। ऐसे में संबंधित कानून के बन जाने के बाद आनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने पर तीन साल की सजा या एक करोड़ तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। बार-बार अपराध की पुनरावृत्ति पर इस कानून के तहत सजा और जुर्माना को बढ़ाया जा सकता है।

हालांकि कुछ लोग इस कानून का विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि गेमिंग पर 'पूर्ण प्रतिबंध' के बजाय 'कड़े नियमन' के साथ इसे चालू रखना बेहतर होता। अगर लाइसेंस आधारित प्रणाली और कड़े कराधान के तहत इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता रहेगा और उपभोक्ताओं को संरक्षण भी मिलता रहेगा। साथ ही, एक आशंका यह भी है कि इसे उपभोक्ता भूमिगत रूप से अंजाम दे सकता है या फिर वह किसी संबंधित विदेशी प्लेटफार्म की ओर आकर्षित हो सकता है। दरअसल आजकल युवाओं में शार्टकट के जरिए धन और शोहरत अर्जित करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसे में सट्टेबाजी गेम्स को अवैध बनाया जाना ही एकमात्र विकल्प था।

हालांकि गेमिंग उद्योग का कहना है कि इस कानून से लगभग दो लाख नौकरियां जाने की आशंका है। वहीं, सरकार को संबंधित जीएसटी से होने वाला सालाना राजस्व में 20 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। तो क्या ऐसे में डिजिटल क्रांति को केवल जुए का साधन बनने देंगे या रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनाएंगे। आनलाइन गेम्स परिवार को तोड़ युवाओं को कर्ज के दलदल में डुबो दे, अपराध के प्रति धकेल दे, तो ऐसे धंधे को सरकार समाज में फैलने दे? इसलिए सरकार की ओर से लिया गया यह निर्णय निश्चित रूप से स्वागतयोग्य है।

समाज के लिए चेतावनी और अवसर

सोनम लववंशी

तकनीक ने जिस तेजी से हमारे जीवन को बदला है, उतनी ही तेजी से उसने चुनौतियां भी खड़ी की हैं। मोबाइल और इंटरनेट ने मनोरंजन को भले ही बड़ी आसानी से हमारी जेब में पहुंचा दिया है, लेकिन इस सहजता ने समाज में एक नया संकट भी जन्म दिया है। आनलाइन गेमिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कभी केवल समय काटने का साधन रहा यह खेल अब युवाओं और बच्चों के लिए लत, लालच और बर्बादी का पर्याय बन चुका है।

भारत आज दुनिया के सबसे बड़े आनलाइन गेमिंग बाजारों में गिना जाता है। यह तेजी से बढ़ता उद्योग देखने में भले सुनहरा लगे, लेकिन इसके पीछे का यथार्थ उतना ही चिंताजनक है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 2024 में भारत के गेमिंग उद्योग की कुल आय में से 86 प्रतिशत हिस्सा केवल रियल मनी गेमिंग का था। यानी अधिकांश कारोबार उन खेलों से आता है जहां असली पैसे का दांव लगता है। यह तथ्य स्वयं में इस बात को संकेत करता है कि मनोरंजन के नाम पर देशभर में लाखों लोग असल में जुए जैसी प्रवृत्ति से जुड़ चुके हैं।

तमाम संबंधित रिपोर्टों के अनुसार करोड़ों भारतीय ऐसे गेम्स में हर साल भारी रकम गंवाते हैं। ऐसे में यह केवल खेल की लत नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता पर सीधा हमला है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टें बताती हैं कि बीते वर्षों में कई युवाओं ने आर्थिक नुकसान या गेमिंग की लत के कारण आत्मघाती कदम भी उठाए हैं। भले ही इन घटनाओं का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय आंकड़ा उपलब्ध न हो, लेकिन इतना तय है कि उनकी आवृत्ति समाज के लिए गंभीर चेतावनी है।

लिहाजा इस संबंध में बनाए गए नए कानून के तहत किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा रियल मनी गेम्स का संचालन या प्रचार अपराध माना जाएगा और दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की सजा या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। वित्तीय संस्थानों और विज्ञापनदाताओं को भी जवाबदेह बनाया गया है। यह कदम केवल प्रतिबंध नहीं, पारदर्शिता, जिम्मेदारी और उपभोक्ता सुरक्षा की दिशा में उठाया गया साहसिक प्रयास है। हालांकि इस फैसले के स्वागत के साथ यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि यह कदम देर से उठाया गया। पिछले पांच वर्षों में जब यह उद्योग अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा था, तब लाखों परिवारों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मानसिक तनाव, आर्थिक क्षति और सामाजिक असंतुलन की जो लहर इस दौरान फैल चुकी है, उसकी भरपाई मुश्किल है।

यह भी सच है कि आनलाइन गेमिंग केवल नुकसान का साधन नहीं है। अगर इसे सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो यह रोजगार, निवेश और नवाचार का बड़ा अवसर है। ई-स्पोर्ट्स और डिजिटल गेमिंग के क्षेत्र में भारत वैश्विक पहचान हासिल कर सकता है। प्रतिभाशाली डेवलपर्स और क्रिएटर्स के लिए यह उद्योग अपार संभावनाएं खोलता है। यही वजह है कि नए कानून में केवल पाबंदियों की बात नहीं है, बल्कि जिम्मेदार गेमिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने और इस उद्योग को व्यवस्थित करने पर भी जोर दिया गया है। समाज के लिए यह कानून चेतावनी भी है और अवसर भी। चेतावनी इस बात की कि आभासी खेलों की लत से असली जीवन तबाह हो सकता है, और अवसर इस बात का कि यदि इसे सही दिशा दी जाए तो यह युवाओं को रोजगार और रचनात्मकता का नया मंच दे सकता है।

आनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण का यह नया कानून निश्चित ही स्वागत योग्य कदम है। लेकिन यह देर से बजा अलार्म हमें यह भी सिखाता है कि तकनीक और मनोरंजन के मामले में नियमन हमेशा समय रहते होना चाहिए। देर से लिए गए फैसले केवल क्षति की भरपाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि सही समय पर लिया गया कदम समाज को बचा भी सकता है और नए अवसरों का द्वार भी खोल सकता है। तकनीक का असली खेल समय रहते समझ लेना ही असली जीत है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

खरी-खरी

चक्कर तबादलों का

पूरन सरमा

मुख्यमंत्री ने पी.ए. से कहा- सुनो आज जो ट्रांसफर जारी करना है, वह पूरी तरह तैयार है या नहीं?

पी.ए. बोला- सब, लगभग तैयार हैं, परंतु अभी पांच-सात नाम कम पड़ रहे हैं।

तो इसमें सोच-विचार क्या है, किसी का भी नाम शामिल कर दो ताकि यह रोजाना का रूटीन वर्क तो पूरा हो। तुम आजकल काम करने में लचर हो गए हो, पी.ए. से मुख्यमंत्री क्रोध में कहा।

नहीं साब ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि तबादलों पर आपने रोक लगा दी है, फिर स्थानांतरण सूची जारी करना...

सीएम बीच में ही बोले- ज्यादा दिमाग मत लड़ाया करो। जितना कहूं उतना किया करो।

नहीं साहब, मैं तो दरअसल यह कह रहा था कि तबादले करीब पांच हजार से भी ज्यादा हो गए हैं।

मुख्यमंत्री बोले, ज्यादा मत बोल, क्या तुम मेरे असंतुष्टों से मिल गए हो, पता भी है इस बार सबसे भीषण अकाल पड़ने जा रहा है।

करोड़ों रुपयों की राहत की पंजीरी बंटेगी, क्या तुम इसमें से जरा भी प्रसाद लेने में रुचि नहीं रखते हो? यदि ऐसी बात है तो तबादला-सूची में अपना नाम भी रख सकते हो, तुमसे मैंने कई बार कहा कि जब तक मैं दिल्ली नहीं जाऊं, मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा, सीएम ने कहा।

ठीक है मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं तो थोड़ी नीतिगत बातें दायित्व निर्वाह के लिए बता देता हूं, वह भी आपको बुरी लगती है तो मैं बताने से रहा।

वह तो तुम्हें बतानी ही चाहिए, वरना अक्षमता के आरोप में नौकरी से हाथ धो बैठोगे।

पर मैं भ्रष्ट नहीं हूं, पीए बोला।

सीएम बोले, अकाल राहत कार्य शुरू होंगे तब पता चलेगा कि तुम कितने दूध के धुले हो?

यह किसने कहा साब कि मैं दूध का धुला हूं, मैं आपका पीए हूं, आप मुझे चाहें तो अक्षम बना दें या भ्रष्ट, मैं तो आपकी शरण में हूं। मेरा करियर आप पर निर्भर है जो चाहो करो, तबादला मत करना साब।

पीए की बात पर मुख्यमंत्री खुलकर हंसे, बोले- वाह, तुम काफी चतुर हो, तुम्हें बदलकर क्या मुझे मेरा तबादला करवाना है, अच्छा ऐसा करो, जरा वह सूची मुझे बताओ जिनके ट्रांसफर होने हैं।

X पोस्ट

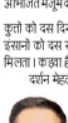

अब कोई बैंक सिबिल स्कोर की कमी के कारण फर्स्ट टाइम लोन लेने वाले को कर्ज देने से मना नहीं कर सकता। मोदी सरकार का यह अच्छा निर्णय है, लेकिन इस अपारदर्शी ऋण संस्कृति और वित्तीय अत्याचार को खत्म करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
अभिजित मजूमदार @abhijitmajumder

कुत्तों को दस दिन में न्याय मिल गया, जबकि इंसानों को दस साल में भी न्याय नहीं मिलता। कड़वा है, पर सच है।
दर्शन मेहता @darshanvmehta1

वे पूरी दुनिया में हथियार, गोला-बारूद, लड़ाकू विमान, मिसाइल बेचकर भी युद्ध की फंडिंग नहीं कर रहे हैं, पर हम रूस से तेल खरीदकर युद्ध की फंडिंग कर रहे हैं।
अंकित कुमार अवस्थी @kaankit

अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। बैंक आफ इंडिया ने 725 करोड़ रुपये के लोन को फ्राड घोषित किया। लोन आरकाम के लिए था, जबकि एफडी में लगा दिया गया। स्टेट बैंक भी ऐसा केस कर चुका है। अचानक अनिल अंबानी के केस इतने साल बाद क्यों खुल रहे है?
मिलिंद खांडेकर @milindkhandekar

बंगाल डायरी

घुसपैठियों पर कार्रवाई की राह में कई रोड़े

जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

तृणमूल कांग्रेस अपनी 'सत्ता की भूख' मिटाने के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। यह देश अब घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम उन्हें भारत में रहने नहीं देंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि घुसपैठिये बंगाल और देश छोड़कर चले जाएं, तृणमूल सरकार को जाना होगा। केवल आपका वोट ही घुसपैठियों को देश से बाहर खदेड़ना सुनिश्चित कर सकता है। ये लोग बंगाल की डेमोग्राफी (जनसांख्यिकी) बदल रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि तृणमूल और कांग्रेस समेत कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति के आगे झुक गए हैं। सत्ता की भूख में ये दल घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं। उपरोक्त बातें कोलकाता में बीते शुक्रवार को एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कही थी।

प्रश्न यह है कि क्या बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई और घुसपैठ रोकने की राह आसान है? देश के अन्य राज्यों में घुसपैठियों पर हो रही कार्रवाई को बांग्लाभाषियों के खिलाफ उत्पीड़न बताकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, यह भी एक गंभीर मुद्दा है।

केंद्र सरकार के सामने बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की राह में कई रोड़े हैं, जिन्हें हटाकर ही इस गंभीर समस्या से निपटना संभव हो सकेगा। जिस तरह से सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदली जा रही है, वह बंगाल में सामाजिक संकट पैदा कर रहा है। खासतौर पर किसानों से धोखाधड़ी करके उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आदिवासियों को गुमराह करके उनकी जमीन हड़पी जा रही है। देश यह सहन नहीं कर सकता। इसे रोकना ही होगा, इसलिए इस बार लाल किले से मैंने घुसपैठ के खिलाफ विशेष डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। पीएम मोदी ने जो बातें कही हैं, इसमें उनकी चिंता झलक रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता घुसपैठ को केंद्रीय गृह मंत्रालय की नाकामी बताकर केंद्र सरकार को

सीमा पर निगरानी करते बीएसएफ जवान। फाइल

जिस तरह से कठघरे में खड़ा करने की कोशिश में हैं, वह यह बताने को काफी है कि इस मुद्दे पर उनका सोच क्या है।

इस समय राज्य में तृणमूल की ओर से भाषा आंदोलन चलाया जा रहा है। यह आंदोलन कथित तौर पर भाजपा शासित राज्यों में बांग्लाभाषियों को उत्पीड़ित किए जाने के खिलाफ है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र व ओडिशा जैसे राज्यों में बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसमें पकड़े गए कुछ बंगाल के प्रवासी श्रमिक भी थे, जिन्हें बांग्लादेश भेज दिया गया था। उसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के बांग्लाभाषियों का उत्पीड़न व अपमान बताकर बंगाली अस्मिता का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है।

इन परिस्थितियों में बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कैसे शुरू हो सकेगी? अभी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की बात शुरू हुई ही है तो तृणमूल समेत कांग्रेस व वामपंथी दल विरोध में खड़े हो गए हैं। घुसपैठियों से निपटने के साथ-साथ केंद्र सरकार को बंगाल में घुसपैठ रोकने के लिए भी पुख्ता प्रबंध करने होंगे।

बंगाल से सटी बांग्लादेश की 569 किमी सीमा ऐसी है, जहां फेंसिंग (बाड़) नहीं लग सकी है। बंगाल में बांग्लादेश से लगी कितनी सीमा पर फेंसिंग नहीं हुई है, इसकी वजह क्या है, पिछले तीन वर्षों में कितने घुसपैठिये पकड़े गए हैं, इन सवालों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया था कि बंगाल से लगती बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई 2216 किमी है, जिसमें से 1648 किमी पर फेंसिंग हो चुकी है। बाकी 569 किमी में फेंसिंग नहीं हुई है। इसमें भी 112 किमी सीमा ऐसी है, जहां पर नदी-नाले व जंगल हैं। वहां बाड़ लगाना संभव नहीं है। अब तक पूरी तरह से बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग क्यों नहीं हो सकी है? इसकी मुख्य वजह केंद्र की ओर से राज्य सरकार द्वारा समय पर जमीन का बंदोबस्त नहीं करना बताया जा रहा है। अब जमीन मिलने की बात कही जा रही है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक बांग्लादेश से 2023 में 1,547, 2024 में 1,694 और 2025 में अब तक 723 लोग घुसपैठ करते पकड़े गए हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि घुसपैठ कितनी बड़ी समस्या है। ऐसी ही स्थिति रही तो बंगाल में मौजूद घुसपैठियों पर कार्रवाई करना कितना मुश्किल है, यह समझा जा सकता है। एक तरफ राज्य सरकार की ओर से घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग नहीं मिलने के पूरे-पूरे आसार हैं क्योंकि पहले वामपंथी दलों पर घुसपैठियों का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप खुद ममता सड़क से संसद तक में लगाती थीं, लेकिन 2011 में सत्ता में आने के बाद अब उनपर ही इन घुसपैठियों को प्रश्रय देने का आरोप लग रहा है। इसकी वजह भी है। जिस तरह से ममता संशोधित नागरिकता कानून (सीएए), संशोधित वक्फ कानून और अब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से जोड़कर मुखर हो रही हैं, यह काफी कुछ बता रहा है। केंद्र को बंगाल से घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले ममता की नेतृत्व वाली तृणमूल और उनकी सरकार से लड़ना होगा, इसके बाद वामपंथी और कांग्रेस भी हैं। इसके अलावा घुसपैठियों के हिमायती कुछ गैर-राजनीतिक संगठन, बुद्धिजीवी और जिहादी तत्व भी हैं। साथ ही बिना बाड़ वाली सीमा भी है इसलिए घुसपैठ, घुसपैठियों और डेमोग्राफी में बदलाव के खिलाफ एक साथ फूल प्रूफ निर्णायक कार्रवाई करनी होगी।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या मंत्रियों की गिरफ्तारी वाले विधेयक से संबंधित जेपीसी के बहिष्कार से जुड़ा विपक्षी दलों का फैसला सही है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

सुप्रीम कोर्ट के संशोधित फैसले के बाद आवारा कुत्तों की समस्या दूर होने की उम्मीद बढ़ गई है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

नई-नवेली साथ में लावे खूब दहेज,
मोटर, टीवी, फ्रिज, घड़ी, महंगीवाली सेज।
महंगीवाली सेज भले घर जले न चूल्हा,
लेकिन मुंह फैलाय यहां बैठा हर दूल्हा!
हम भारत के लोग चाहते फ्लैट-हवेली,
लेकर आवे साथ दुल्हनिया नई-नवेली!!
- ओमप्रकाश तिवारी

मंथन

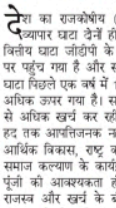

व्यापार घाटे पर नियंत्रण

प्रो. लल्लन प्रसाद
पूर्व विभागाध्यक्ष, बिजनेस इकोनमिक्स विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत का राजकोषीय एवं व्यापार घाटा बढ़ रहा है। यह स्थिति सरकार द्वारा राजस्व से अधिक खर्च एवं निर्यात में गिरावट एवं आयात में वृद्धि का द्योतक है जो आर्थिकी की गति कम कर सकता है

देश का राजकोषीय (वित्तीय) एवं व्यापार घाटा दोनों ही बढ़ रहा है। वित्तीय घाटा जीडीपी के 4.9 प्रतिशत पर पहुंच गया है और संयुक्त व्यापार घाटा पिछले एक वर्ष में 13 प्रतिशत से अधिक ऊपर गया है। सरकार राजस्व से अधिक खर्च कर रही है जो कुछ हद तक आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि आर्थिक विकास, राष्ट्र की सुरक्षा एवं समाज कल्याण के कार्यक्रमों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, किंतु राजस्व और खर्च के बीच में अंतर इतना न हो जो अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर दे। इसके लिए संसद ने 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया जिसका उद्देश्य है राजकीय घाटे को कम करना और सरकार में वित्तीय अनुशासन सुरक्षित करना। वित्तीय घाटे को 2021 तक तीन प्रतिशत एवं सरकार का ऋण 2024-25 तक जीडीपी के 40 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य है।

हाल के वर्षों में पहली बार 2023 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त हो सका, जब केंद्र सरकार के बजट का घाटा नौ लाख करोड़ रुपये था जो जीडीपी का 2.9 प्रतिशत था। इसके पहले 2019 में यह 3.7 प्रतिशत, 2020 में 7.3 प्रतिशत हो गया था, 2021 में 4.4, 2022 में 4.1 और 2024-25 में 4.8 प्रतिशत था। अप्रैल-जून 2025 में यह 4.9 प्रतिशत पर पहुंच गया जो निर्धारित सीमा से बहुत अधिक नहीं है, किंतु चेतावनी है। सरकार द्वारा ऋण के संबंध में कैग की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020-21 में यह जीडीपी का 61.38 प्रतिशत था जो मार्च 2024 में घटकर 57 प्रतिशत पर आ गया। निर्धारित मानक 40 प्रतिशत से यह अधिक है। उच्च राजकीय घाटे की स्थिति में रेटिंग एजेंसियां देश की सावरेन रेटिंग घटा सकती है, जिसका असर निवेश पर पड़ता है, मुद्रास्फीति की आशंका बढ़ती है, विनिमय दर में गिरावट ला सकती है, सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता है, विदेश से माल खरीदना महंगा हो सकता है।

सुधार के उपाय : वित्तीय घाटे की पूर्ति के लिए सरकार जो कदम उठाती है उनमें प्रमुख हैं: घरेलू और विदेशी बाजारों से उधार लेना, बांड जारी करना, केंद्रीय बैंक द्वारा नए नोट छापना, सरकारी संपत्ति बेचना, सार्वजनिक उद्योगों में निजी भागीदारी बढ़ाना, करों में वृद्धि करना आदि। आवश्यकता अनुसार सरकार इन साधनों का उपयोग करती रही है। सरकार कर्ज बाहरी और आंतरिक दोनों स्रोतों से लेती रही है। ऋण लेने में भारत विश्व में 31वें पायदान पर है। जापान, अमेरिका व फ्रांस जैसे विकसित देश क्रमशः तीसरे, आठवें और नौवें पायदान पर हैं। इस दृष्टि से बाहरी ऋण पर भारत की निर्भरता कम है। मार्च 2024 में देश पर 168.7 खरब रुपये का ऋण था जो इस वर्ष के अंत तक 181.68 खरब रुपये तक पहुंचने की आशंका है। लंबी अवधि के अधिकांश कर्ज वैश्विक वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, आदि से लिया जाता है। इनके ब्याज और मूल के भुगतान में भारत की साख अच्छी है जो आर्थिकी को स्थिरता प्रदान करता है।

व्यापार घाटा : दूसरे देशों से अधिक माल और सेवाएं खरीदना एवं उनको कम बेचना व्यापार घाटे का कारण बनता है। विश्व व्यापार में खरीद और बिक्री में संतुलन पूरी तरह से कुछ ही देश कर पाते हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश का व्यापार घाटा बहुत अधिक है, भारत अमेरिका को जितना माल और सेवाएं निर्यात करता है उससे कम आयात करता है। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष 48 अरब डालर का है। भारत अमेरिका को जो चीजें निर्यात करता है उनमें टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, आटो पार्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और आइटी सेवाएं मुख्य हैं। वहीं चीन को भारत जितना निर्यात करता है उससे बहुत अधिक आयात करता है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डालर तक पहुंच चुका है जो भारत के लिए चिंता का विषय है।

भारत अमेरिका को अधिक निर्यात करता है, जबकि चीन से आयात अपेक्षाकृत अधिक करता है। फाइल

जुलाई 2023 में भारत का विदेश व्यापार में कुल घाटा 27.35 अरब डालर था जो पिछले आठ महीने में सबसे अधिक था। इसके पहले नवंबर 2022 में यह 37.87 अरब डालर तक पहुंच चुका था। वस्तुओं के निर्यात की तुलना में सेवाओं के निर्यात में भारत अग्रणी है। सर्विस सेक्टर भारतीय निर्यात की ताकत बन चुका है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, भारत से आयात पर उन्होंने 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है, इससे भारतीय निर्यात प्रभावित होगा। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की स्थिति के चलते माल की आपूर्ति शृंखला पहले से प्रभावित है। अमेरिका द्वारा भारी टैरिफ विदेश व्यापार को दुष्प्रभावित करने के लिए आग में घी डालने जैसा है।

****

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • मंगलवार • 26 अगस्त • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

अपने दोस्त के लिए जान दे देना इतना मुश्किल नहीं है
जितना मुश्किल ऐसे दोस्त को ढूंढ़ना जिस पर जान दी जा सके
-मधूलिका गुप्ता

प्रकृति का रौद्र रूप

देश में हो रही जबरदस्त बरसात के कारण जन-जीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त है। जम्मू-कश्मीर में बाढ़ को देखते हुए हाई एलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में दो राष्ट्रमार्गों समेत तकरीबन चार सौ सड़कों को वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया है। राजस्थान के कई इलाकों में जलभराव के चलते हालात बेकाबू हैं। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक मध्यम से तीव्र बारिश के अतिरिक्त बादल फटने, बाढ़ व भुस्खलन का पूर्वानुमान लगाया है। खासकर हिमाचल, उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर में बादल फटने, वज्रपात व भूस्खलन की चेतावनी है। दिल्ली-एनसीआर से लेकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उप्र के कई इलाकों व बिहार में तेज हवाओं के साथ भारी बरसात की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मुसलाधार बारिश के कारण हो रहे जल-भराव, भवनों के ध्वस्त होने व आवाजाही अवरुद्ध होने के चलते जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित है। कई इलाकों में गांव के गांव बह गए हैं या डूब चुके हैं। ऐसे में लोग जीवन के संकट से ही नहीं जूझ रहे हैं बल्कि जान-माल की हानि के अतिरिक्त खाने-पीने की चीजों का आभाव व सेहत संबंधी दिक्कतों का कोई छोर नहीं रहा। बरसाती मिट्टी/गाद जमा होने से सड़कें अवरुद्ध हैं। घर/मकान जमींदोज हो चुके हैं, बिजली व पेय-जल संकट पर तो चर्चा भी नहीं होती। रोजगार बुरी तरह ठप पड़े हैं। उपज व पशुधन का भारी नुकसान हुआ है। देश में पश्चिम से लेकर उत्तर तक बाढ़-बरसात की तबाही की जो तस्वीरें उपलब्ध हैं, उन्हें सिर्फ झलक माना जा सकता है। क्योंकि पुलों व राजमार्गों के अवरुद्ध होने से आवा-जाही संभव नहीं रही। अधाधुंध कटाव, निर्माण व आधुनिकीकरण भी इस तबाही का जिम्मेदार है। मुंबई/दिल्ली, बंगलुरु/कोलकाता जैसे महानगरों से बरसात के दरम्यान आने वाली तस्वीरों के आधार पर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभिन्न इलाकों में बाढ़-बारिश ने क्या तबाही मचाई होगी। प्राकृतिक आपदाएं प्रतिवर्ष अपने निश्चित समय पर आती हैं, उनसे निपटने की तैयारी करने में सरकारी तंत्र बुरी तरह चूक जाता है। जिस तरह आपदाओं की चपेट में आने वाले पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि का ऐलान होता है, उसे बरसात से पहले ही उचित रूप से उपयोग किया जाए तो स्थिति इतनी भीषण न हो। निःसंदेह कुछ आपदाओं का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, मगर नीयत में खोट न हो तो ऐहितियात बरत कर आधे से ज्यादा पीड़ितों को सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है।

ससुरालियों का खूनी लालच

देश की राजधानी से महज कुछ किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा में शनिवार को विवाहिता निक्की भाटी (29) को दहेज के लिए जिंदा जला डालने की घटना से हर कोई सकते में है। अत्याधुनिक समाज में हुई यह घटना इक्कीसवीं सदी का वहशियाना रूप है। घटना से गुस्साए लोगों ने कासना थाने का घेराव किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पति विपिन भाटी के अलावा उसका पिता, माता और भाई इस घटना में शामिल बताए गए हैं। गिरफ्त में आए विपिन ने भागने का प्रयास किया तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी जो उसके पांव में लगी। उसे दबोच लिया गया है। सास दया, ससुर सतवीर, जेठ रोहित घटना के बाद से फरार हैं। निक्की भाटी को जलाने से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है। एक अन्य वीडियो में मृतका के मासूम बेटे को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि 'पापा ने मम्मा को लाइटर से जला दिया।' आरोप है कि विवाह के 9 साल बाद भी महिला के मायके वालों से 35 लाख रुपये दहेज की मांग की जा रही थी। दरअसल, दहेज हत्या के मामले जिस प्रकार सामने आते हैं, उनसे समाज सकते में आ जाता है। जितना समाज अत्याधुनिक होने का दंभ भरता है, उतना ही उसका पिछड़ापन ऐसी घटनाएं उजागर कर देती हैं। कहीं झूठी शान के लिए लड़कियों को मार डाला जाता है, तो कहीं विवाह कर घर लाई गई युवती को इतने वहशियाना तरीके से आग के हवाले कर दिया जाता है। झूठी शान, लालच और दिखावा इस हत्या के पीछे हैं। जिस इलाके में यह घटना घटी है, वहां दहेज का चलन जोरों पर है, और इस कदर है कि दहेज मिलता न देख खुद वर पक्ष वाले ही दहेज का सामान जुटा कर कन्या पक्ष की ओर से दहेज के रूप में लेते हैं। कुछ साल पहले इस इलाके में एक ऐसा मामला संज्ञान में आया जहां लड़के के पिता ने वाहक कन्या पक्ष के घर भिजवा दी जिसे दहेज के रूप में पेश करके समाज में वाहवाही लूटने की कोशिश की गई। इस प्रकार समाज में कथित रुतबा और शान दिखाने की खातिर भी कुछ लोग जुटे मिल जाएंगे। होना तो यह चाहिए कि लोगों को अपने बच्चों को शिक्षित करके उन्हें सफल बनाने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को यह सब करना चाहिए वे घर में बहुओं को जला कर मार डालने में लिप्त हैं। इस अति दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम देने वालों को कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए।

हरि तालिका तीज/श्वेता गोयल

तप और सौभाग्य का संगम

हिन्दू धर्म में 'तीज' पर्व का विशेष महत्त्व है। यह वर्ष में तीन बार आता है। सबसे पहले आती है सावन के महीने में 'हरियाली तीज', उसके कुछ ही दिन बाद 'कजरी तीज' और फिर 'हरतालिका तीज'। तीनों ही तीज भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित हैं और पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाई जाती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित हरतालिका तीज भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। इस व्रत का धार्मिक महत्त्व बहुत गहरा है और इसे सुख, समृद्धि एवं पतिव्रता धर्म का प्रतीक माना जाता है।

हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को मनाई जाती है और हिन्दू पंचांग के अनुसार इस बार यह पर्व 26 अगस्त को मनाया जा रहा है। इसके अगले ही दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की रेत या मिट्टी से बनी मूर्तियों की पूजा करते हुए सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। सुहागिन महिलाएं इस दिन पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला उपवास रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याओं के लिए तो यह पर्व मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का पर्व है। कुंवारी कन्याओं के लिए व्रत के नियम अलग हैं, वे इस व्रत को फलाहार पर भी रख सकती हैं। चूंकि हरतालिका तीज व्रत निर्जला व्रत होता है, इसीलिए इसे बेहद कठिन माना जाता है। महिलाएं इस दिन बिना अन्न-जल ग्रहण किए पूरे दिन व्रत रखती हैं। एक बार इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे आजीवन रखना पड़ता है। यह त्योहार करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है क्योंकि जहां करवा चौथ में चांद देखने के उपरांत व्रत सम्पन्न कर दिया जाता है, वहीं हरतालिका तीज व्रत में पूरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत सम्पन्न होता है। तीज के सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक अन्न-जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए अत्यंत कठोर तप किया था और इसी दिन उन्हें शिव मिले थे, इसीलिए यह व्रत प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। तीज में जिस प्रकार पूजा और व्रत का विशेष महत्त्व है, उसी प्रकार दान का भी खास महत्त्व है।

सेमीकंडक्टर क्रांति का दौर

सामयिक

गिरीश पांडे

अभी हाल में सरकार ने दो ओडिशा में, एक पंजाब में और एक आंध्र प्रदेश में कुल चार नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी है। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत चार हजार पांच सौ 94 करोड़ रुपये है। सरकार पहले ही छह सेमीकंडक्टर संयंत्रों को मंजूरी दे चुकी है और उनका निर्माण कार्य चल रहा है। ये हैं गुजरात में दो, असम में एक तथा उत्तर प्रदेश में एक संयंत्र। इस प्रकार सरकार सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए मजबूत तंत्र तैयार कर रही है। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य देश में एक मजबूत और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना था।

यह मिशन प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' विजन के तहत शुरू किया गया, ताकि भारत केवल उपभोक्ता ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर चिप निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण खिलाड़ी बन सके। इसमें डिजाइन, विनिर्माण, पैकेजिंग, परीक्षण और अनुसंधान जैसे सभी आयाम शामिल किए गए। इस मिशन के अंतर्गत सरकार ने कई सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब और विशेष पैकेजिंग एवं परीक्षण इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी। उद्योगों को आकर्षित करने के लिए 76,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया गया। वैश्विक कंपनियों के साथ भागीदारी, घरेलू स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन, और सेमीकंडक्टर डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए चिप-टू-स्टार्टअप कार्यक्रम भी शुरू किया गया। इसके साथ ही, राज्यों मैंक्लस्टर आधारित हबबनाने और अनुसंधान संस्थानों को उद्योग के साथ जोड़ने पर भी जोर दिया गया।

इन सबके परिणामस्वरूप तीन वर्षों की अवधि में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है और आज भारत दुनिया के सबसे महत्त्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादक देशों में से एक बनने जा रहा है। डिजाइन सेगमेंट में 100 से अधिक स्टार्टअप्सशामिल हुए हैं। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र कोमिशन मोड में आगे बढ़ाने की ठोस पहल की है-जहां केंद्र और राज्यों दोनों स्तरों पर निवेश, निर्माण, डिजाइन, कौशल विकास और अनुसंधान एवं विकास पर जोर दिया जा रहा है। सेमीकॉन इंडिया - 2025 2 सितंबर,2025 से नई दिल्ली में आयोजित होगा, इसमें मलेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया साझेदार के रूप में भाग लेंगे। गौरतलब है कि भारत में अब तक तीनसेमीकॉन इंडिया सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं-2022 में बेंगलुरु में पहले सम्मेलन के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत हुई और इंटेल व टीएसएमसी जैसी कंपनियों के साथ सहयोग

की नींव रखी गई; 2023 में गांधीनगर, गुजरात में दूसरे सम्मेलन में अमेरिका, जापान तथा ताइवान की अग्रणी कंपनियों ने भाग लिया और भारत में निवेश तथा फैब इकाइयों की स्थापना पर ठोस घोषणाएं हुईं; वहीं 2024 में बेंगलुरु में ही तीसरे सम्मेलन में स्टार्टअप्स, एमएसएमई और शैक्षणिक संस्थानों को विशेष मंच मिला तथा 100 से अधिक डिजाइन स्टार्टअप्स को जोड़ा गया। इन तीनों आयोजनों ने भारत को वैश्विक चिप उद्योग में मजबूत दावेदार बनाने की ठोस नींव तैयार की।

सेमीकॉन इंडिया केवल नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे वार्षिक सम्मेलन और निवेश मंचके रूप में भी आयोजित किया जाता है, जहां वैश्विक उद्योग नेता, निवेशक, नीति-निर्माता और शोधकर्ता एक साथ आते हैं। इस मंच के जरिए भारत ने कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को साझेदारी और निवेश के लिए आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की कि2025 के अंत तक'मेड इन इंडिया' चिप्स बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे। यह घोषणा इस दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है कि भारत में सेमिकंडक्टर उद्योग को 'भविष्य की रीढ़' माना जा रहा है, क्योंकि यह न केवल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था बल्कि ऑटोमोबाइल, रक्षा और दूरसंचार जैसे अनेक क्षेत्रों के लिए अनिवार्य है। आज वैश्विक स्तर पर सेमिकंडक्टर की मांग लगातार बढ़ रही है और भारत इसे आत्मनिर्भरता व निवेश आकर्षण के अवसर के रूप में देख रहा है। दुनिया की जटिल सप्लाई चेन और हाल ही के चिप संकट ने भारत को प्रेरित किया है कि वह इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करे। वर्तमान में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग कुछ चुनिंदा देशों के हाथों में केंद्रित है। ताइवान की टीएसएमसी दुनिया की सबसे बड़ी फाउंड्री है और लगभग 60 % वैश्विक चिप निर्माण नियंत्रित करती है, जबकि दक्षिण कोरिया की सैमसंग और एसके हाइनिक्स मेमोरी चिप्स में अग्रणी है।

अमरीका डिजाइन और बौद्धिक संपदा में शीर्ष पर है, जहां इंटेल, क्वालकॉम, एनवीडिया, एएमडी जैसी कंपनियां नई पीढ़ी के प्रोसेसर और आर्किटेक्चर विकसित करती है। इसके अलावा जापान सेमीकंडक्टर उपकरण व सामग्री आपूर्ति में महत्त्वपूर्ण है, नीदरलैंड् की एएसएमएल अत्याधुनिक ईयूवी लिथोग्राफी मशीनों की एकमात्र निर्माता है, वहीं चीन बड़े निवेशों के साथ अपनी घरेलू क्षमता बढ़ाने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि सेमीकंडक्टर को '21वीं सदी का तेल' कहा जाता है। इसलिए भारत ताइवान, दक्षिण कोरिया और अमरीका जैसे देशों के अनुभव से सीखकर तेजी से 'फैब', डिजाइन केंद्र और अनुसंधान संस्थान विकसित करने की दिशा में अग्रसर है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र, राज्यों की नीतिगत सहायता और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इस पारिस्थितिकी तंत्र को गति दे रहे हैं। हालांकि, भारत के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं-जैसे वैश्विक सप्लाई चेन, उच्च पूंजीगत लागत,उच्च प्रारंभिक निवेश, तकनीकी विशेषज्ञता की कमी तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां भी बनी हुई हैं, इसलिए भारत को उन्नत फैब्रिकेशन में निवेश, अनुसंधान और विकास तथा डिजाइन पर जोर, कच्चे माल व सप्लाई चेन में आत्मनिर्भरता, कौशल विकास और स्थिर नीतिगत प्रोत्साहन पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण, स्टार्टअप्स की नवाचार क्षमता और विदेशी कंपनियों की साझेदारी से यह क्षेत्र भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिला सकता है। इससे भारत की न केवल आयात निर्भरता घटेगी बल्कि वह विश्व का एक प्रमुख सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में भी आगे बढ़ेगा।

(लेख में विचार निजी हैं)

> सेमीकॉन इंडिया केवल नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे वार्षिक सम्मेलन और निवेश मंचके रूप में भी आयोजित किया जाता है, जहां वैश्विक उद्योग नेता, निवेशक, नीति-निर्माता और शोधकर्ता एक साथ आते हैं। इस मंच के जरिए भारत ने कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को साझेदारी और निवेश के लिए आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की कि 2025 के अंत तक 'मेड इन इंडिया' चिप्स उपलब्ध हो जाएंगे

हरी मिर्च
भोजन का बढ़ाए स्वाद, मधुमेह के रोगियों के लिए गुणकारी

- हरी मिर्च में विटामिन ए, सी, के और फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें बीटा-कैरोटीन और एंटी-ऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, जो डायबिटीज नियंत्रित करने, पाचन तंत्र मजबूत करने और हृदय रोगों से बचाव में मददगार हैं
- आयुर्वेद में मिर्च को कुमनाचा कहते हैं। यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और इसका कैप्सेसिन तत्व शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। हरी मिर्च सिरदर्द, थकान और अनिद्रा से राहत दिलाने में भी मददगार है
- विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह खाली पेट एक हरी मिर्च का सेवन पाचन को बेहतर बनाता है। अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, मिर्च के यौगिक और पोषक तत्व खून के थक्के बनने, मोटापा, डायबिटीज, सूजन, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के खिलाफ प्रभावी हैं
- हालांकि, आयुर्वेद इसके सीमित मात्रा में सेवन की सलाह देता है

(मीडिया इनपुट्स)

'द वायर' उसके लेखकों और संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ वे कितने गुस्से में हैं! 'द वायर' साहस के साथ पत्रकारिता क्यों कर रहा है? इस दौर में सेक्शन152 को स्वतंत्र मीडिया के खिलाफ टूल बना लिया गया है! बेहद निंदनीय!

उर्मिलेश, पत्रकार
@UrmileshJ

क्रिकेट | मनोज चतुर्वेदी

जबर्दस्त विरासत छोड़ गए पुजारा

चेतेश्वर पुजारा के जिस डिफेंस को दुनिया के दिग्गज गेंदबाज भेदने में असफल रहे, उसे भेदने में वक्त कामयाब हो गया और उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। वह लंबे समय से भारतीय टेस्ट टीम में वापसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पिछले दिनों रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्हें भी विश्वास हो गया कि अब वापसी संभव नहीं है और उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। हालांककि उन्हें इस बात की खुशी रहेगी कि वह टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने के मामले में आठवें नंबर के खिलाड़ी के तौर पर रिटायर हुए हैं। उन्होंने 103 टेस्ट मैचों में 43 .60 के औसत से 7195 रन बनाए, जिसमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल रहे।

यह सही है कि पुजारा के खेल में विराट जैसा आकर्षण नहीं था और ना ही वह ऋषभ पंत जैसे आक्रामक शॉट खेल सकते थे। पर वह विकेट पर लंगर डालकर खेलने की क्षमता की वजह से भारतीय क्रिकेट के लंबे समय तक बहुत ही भरोसेमंद बल्लेबाज रहे। आंकड़ों के हिसाब से उनके समय के दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई पेस गेंदबाज हेजलवुड की 44.3 प्रतिशत गेंदें उन्हें कोहनी के ऊपर लगीं और पैट कमिंस की 26.5 प्रतिशत गेंदें छाती पर लगीं पर कोई भी गेंदबाज उन्हें डिगा नहीं सका। मैजूदा भारतीय कोच गौतम गंभीर का यह कहना मायने रखता है,...जब तूफान आया तो वह डटे रहे, जब उम्मीदें धूमिल हो रहीं थीं, तब उन्होंने जुझारूपन दिखाया।...वहीं सचिन तेंदुलकर ने कहा,...पुजारा आपको नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते देखना हमेशा भरोसा देता था। आपकी मजबूत तकनीक, धैर्य और दबाव में संयम टीम के लिए स्तंभ रहे। पुजारा जबर्दस्त विरासत छोड़कर जा रहे हैं। उनके बाद के दौर में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की भरमार है, तमाम आक्रामक खेल से रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। पर उन जैसा कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं दिखा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भारत को पहली टेस्ट सीरीज जिताने में जिस तरह का प्रदर्शन किया, वैसा प्रदर्शन कम ही देखने को मिलता है। इस 2018-19 की सीरीज में उन्होंने 1258 गेंदों का सामना करके 521 रन बनाए थे, जिसमें तीन शतक शामिल थे। इस सीरीज की खास बात यह थी कि उन्होंने जो गेंदें खाली छोड़ीं, उनमें से तीन चौथाई गेंदों ने शरीर पर प्रहार किया था।

इस तरह का प्रदर्शन गावस्कर 1971 वेस्ट इंडीज के खिलाफ और शुभमन गिल 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ कर सके हैं। पुजारा 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में टेस्ट कैरियर की शुरुआत करने के साथ ही अपने खेल से प्रभावित करने में सफल रहे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अगला टेस्ट खेलने के लिए अगस्त 2012 तक का इंतजार करना पड़ा। न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई इस सीरीज के हैदराबाद में खेले गए टेस्ट में पहला शतक (159) बनाया। इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अपना दोहरा शतक जमाने में सफल हो गए, लेकिन एक समय ऐसा भी आया, जब यह माना जाने लगा कि पुजारा के खेल की चमक कम होने लगी है। इस कारण ही वेस्टइंडीज दौरे पर तीसरे टेस्ट के दौरान उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि पुजारा की यह खूबी रही है कि जब भी उनकी काबिलियत पर शक किया गया तो उन्होंने घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाकर चयनकर्ताओं का मन मोह लिया है। पुजारा को अच्छा क्रिकेटर बनाने में पिता अरविंद की अहम भूमिका रही है। उन्होंने पुजारा के तीन साल की उम्र में प्लास्टिक के बल्ले से शॉट खेलते समय देखा कि उनकी निगाह आखिर तक गेंद पर जमी रहती है। इस पर खुद रणजी खिलाड़ी रहे पिता ने राजकोट स्थित अपनी कोठी में लगे नीम के पेड़ के नीचे उन्हें घंटों खिलाना शुरू कर दिया। वह जब आठ साल के हुए तो मां रीना ने बेटे के क्रिकेट प्रेम को देखते हुए, उनके लिए अपने गद्दे के पैड तैयार किए। उन्होंने 14 साल की उम्र तक पहुंचते बीसीसीआई टूर्नामेंट में तिहरा शतक जमाकर सभी को प्रभावित कर दिया। वह 18 साल की उम्र तक पहुंचते अंडर-19 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज बन गए।

सौराष्ट्र को सफल क्रिकेट राज्य बनाने में पुजारा की भूमिका अहम रही है। उन्होंने इस राज्य के लिए 278 प्रथम श्रेणी मैच खेलकर 51.82 के औसत से 21301 रन बनाए हैं, जिसमें तीन तिहरे शतकों सहित 66 शतक शामिल हैं। वह अभी भारत की इंग्लैंड के साथ हुई पिछली टेस्ट सीरीज के दौरान कमेंट्री करते भी दिखे। साथ ही वह पिता के साथ राजकोट में अकादमी भी चलाते हैं। पर उनसे कोचिंग की जिम्मेदारी संभालने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इससे इनकार किया। पुजारा के रिफलेक्सस में पिछले दो वर्षों में कमी आई है और इस कारण वह आखिरी कुछ मैचों में उम्मीदों के अनुरूप नहीं खेल सके। कहा जा रहा है कि उन्हें यदि पिछली इंग्लैंड सीरीज में भी चुना जाता तो वह पांचवें टेस्ट के दौरान संन्यास की घोषणा कर देते। वैसे भी टेस्ट टीम में नहीं चुने जाते के बाद इस बार पश्चिम क्षेत्र दलीप ट्रॉफी की टीम में नहीं चुनने पर यह साफ हो गया था कि वह संन्यास ले लेंगे क्योंकि वह आईपीएल में अब खेलते नहीं हैं।

हिन्दू धर्म | ओशो

श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऊंचाइयां हैं उपनिषदों की, लेकिन हिन्दू का आचरण? क्षुद्र है। इसलिए कभी-कभी बड़ा चकित होकर देखना पड़ता है। त्याग की इतनी महिमा है, लेकिन जिस तरह हिन्दू पैसे को पकड़ता है, इस पृथ्वी पर कोई नहीं पकड़ता। जिनको हम भौतिकवादी कहते हैं, वे भी पैसे को इस पागलपन से नहीं पकड़ते। जितना लोभी हिन्दू है, उतनी पृथ्वी पर कोई भी जाति खोजनी कठिन है। और अलोभ की इतनी चर्चा है! इतनी ऊंचाई विचार की और आचरण की इतनी क्षुद्रता! क्या होगा कारण? पश्चिम से लोग खोज करने आते हैं सत्य को पूरब, और जब यहां के लोगों को देखते हैं तब बहुत हैरान होते हैं। इनसे ज्यादा क्षुद्र वृत्ति के लोग उन्हें कहीं भी मिलने मुश्किल हैं। आत्मा-परमात्मा की बातें हैं, लेकिन इनका व्यवहार अत्यंत जमीन से बंधा हुआ है, और रुग्ण है। क्या होगा कारण? यह है कारणः जब एक दफे यह बात साफ हो गई कि सबके लिए जिम्मेवार परमात्मा है, भाग्य है, विधि है, कुछ किया नहीं जा सकता, तो तुम जैसे हो, वैसे हो। अतल खाई खुल गई गिरने की। जब भी कोई व्यक्ति अनुभव करता है, मैं जिम्मेवार हूं, तब उसकी चेतना सजग होगी। तब वह जागता है। तब वह श्रम करता है, चेष्टा करता है, सम्हालता है। क्योंकि तुम अपने को सम्हालोगे तो ही इस खाई में गिरने से बच सकते हो। तुमने अपने को नहीं सम्हाला तो कोई तुम्हें सम्हालने वाला नहीं है। सभी तुम्हें धक्के दे सकते हैं, लेकिन सम्हालने वाला तुम्हें कोई भी नहीं है। क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई में किसकी उत्सुकता है? तुम्हारी शुद्धता में किसका रस है? और तुम जीवन के परम कगार बन जाओ, इसके लिए कौन मेहनत करेगा? सब अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। जिस दिन व्यक्ति का दायित्व शून्य हो जाता है, बस उसी दिन उसके आधार समाप्त हो जाते हैं। उसके पैर के नीचे की जमीन जैसे किसी ने खींच ली। अगर महावीर और बुद्ध ने पृथ्वी पर महानतम प्रयोग किया है और हजारों लोगों की चेतनाओं को निर्वाण तक पहुंचाया है, उस सबका आधार एक था कि उन्होंने कहा, कि कोई परमात्मा नहीं है, कोई भाग्य नहीं है तुम हो। और इसलिए अगर तुम नरक में जी रहे हो तो तुम ही कारण हो। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम ही नरक में भीतर गए हो, बाहर आ सकते हो। यह तुम्हारा अपना निर्णय है। स्वेच्छा से तुम गए हो। जब तुम स्वेच्छा से गए हो, तो स्वेच्छा से बाहर आ सकोगे।

रीडर्स मेल

नेताओं की नैतिकता

एक दौर था जब जैन हवाला डायरी में सिर्फ नाम आने पर आडवाणी, खुराना जैसे कई दिग्गज नेताओं ने नैतिकता के आधार पर अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया था। एक आज का दौर है जब नेता जेल में रहते हुए भी सरकार चलना चाहते है। नैतिकता का ह्रास होने पर ही सरकार को भ्रष्टाचार में शामिल मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी 30 दिन तक जेल या हिरासत में रहने पर हटाने वाले विधेयक लाना पड़ा। राजनीति को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त करने की बात सब करते हैं मगर ईमानदार कोशिश कोई नहीं करता। विपक्ष राजनीति में शुचिता लाने के इस प्रयास का विरोध दुरुपयोग के डर से कर रहा है। खबर है कि इस विधेयक पर विचार के लिए गठित होने वाली संयुक्त संसदीय समिति से सपा और टीएमसी के बाद अब कांग्रेस भी दूरी बना सकती है। अपने दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से रखने के लिए जरूरी है कि विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति में शामिल हो।

बृजेश माथुर, बुलंदशहर

बांग्लादेश में मानवाधिकार संकट

बांग्लादेश में बढ़ता मानवाधिकार उल्लंघन गंभीर चिंता का विषय है। अवामी लीग की हालिया रिपोर्ट बताती है कि अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक लगभग 500 पत्रकार उत्पीड़न का शिकार हुए और तीन ने अपनी जान गंवाई। प्रेस पर यह हमला लोकतंत्र की रीढ़ को कमजोर करता है। अल्पसंख्यकों पर 258 सांप्रदायिक हमले और रंगपुर में हिन्दू परिवारों के घर जलाने जैसी घटनाएं बताती हैं कि नागरिक सुरक्षा पर गहरा संकट है। महिलाओं की स्थिति भी चिंताजनक है-छात्राओं और पेशेवर महिलाओं को उनके पहनावे और विचारों के कारण प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। यह सब केवल राजनीतिक असहमति तक सीमित नहीं, बल्कि समाज में भय और चुप्पी को सामान्य बनाने का प्रयास है। ऐसे हालात पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए खतरा हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय संगठन चुप नहीं रह सकते। समय है कि वैश्विक स्तर पर आवाज उठे और बांग्लादेश को दमन की इस राह पर और आगे बढ़ने से रोका जाए। लोकतंत्र तभी सार्थक है, जब नागरिक बिना डर के अपनी बात कह सकें।

महेन्द्र तिवारी, दिल्ली

जवाबदेह बने विपक्ष

लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विपक्ष सरकार की नीतियों और कार्यों पर निगरानी रखता है, उसकी गलतियों को उजागर करता है और जनता के हितों की रक्षा के लिए सकारात्मक सुझाव प्रस्तुत करता है। यदि विपक्ष मजबूत और जिम्मेदार हो तो लोकतंत्र और अधिक सशक्त होता है, लेकिन आज की राजनीति में यह देखने को मिल रहा है कि विपक्ष अपनी रचनात्मक भूमिका निभाने के बजाय कुतर्कों और निरर्थक आलोचनाओं में उलझकर स्वयं ही महत्त्वहीन होता जा रहा है। लोकतंत्र तभी स्वस्थ रह सकता है जब विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों को समझे और जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करे। विपक्ष को चाहिए कि वह तथ्यों पर आधारित तर्क प्रस्तुत करे, सरकार की नीतियों का अध्ययन करे और सकारात्मक राजनीति को बढ़ावा दे।

समराज चौहान, असम

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
वर्ष-35, अंक 12
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, ... हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्रा* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय -011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR/GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी